

**भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**निर्माण कार्य अनुबंध  
पर  
सेवा कर की उगाही और संग्रहण**

**संघ सरकार  
राजस्व विभाग  
अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर  
2015 की प्रतिवेदन संख्या 26**

\_\_\_\_\_ को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत की गई

## विषय-वस्तु

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
<b>अध्याय 1 : प्रस्तावना</b>	<b>1-11</b>
1.1 पृष्ठ भूमि	1
1.2 संगठनात्मक ढांचा	2
1.3 विधिक प्रावधान	3
1.4 हमने यह विषय क्यों चुना	9
1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य	10
1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कवरेज	10
1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	11
1.8 आभार	11
<b>अध्याय 2 : मौजूदा प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं</b>	<b>13-29</b>
2.1 विभाग द्वारा कार्य अनुबंध सेवा प्रदाताओं की पहचान	13
2.2 निर्धारिती का पंजीकरण न होना	14
2.3 पंजीकरण में विलम्ब	19
2.4 विवरणियां दर्ज न कराना	20
2.5 देरी से रिटर्न फाइल करने पर विलम्ब शुल्क न लगाना	22
2.6 रिटर्नों की समीक्षा	24
2.7 प्रेषण विवरण का सत्यापन न करना	25
2.8 आन्तरिक नियंत्रण	26
2.9 लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य इकाईयों का चयन	28
<b>अध्याय 3 : सेवा कर की उगाही</b>	<b>31-37</b>
3.1 भुगतान न किया गया सेवा कर	31
3.2 मुफ्त आपूर्ति के मूल्य को शामिल न करना	34
3.3 कराधान केन्द्र नियमावली का अनुचित प्रयोग	36
3.4 समय पर सेवा कर का भुगतान न करना	37
<b>अध्याय 4 : सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति/उपयोगता</b>	<b>39-43</b>
4.1 इनपुट सेवाओं का अनुचित क्रेडिट	39
4.2 शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त अन्तिम उत्पाद दोनो के लिए इनपुट	40
4.3 सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति	41
4.4 इनपुटों के अनुचित सेनवेट क्रेडिट	43

विषय		पृष्ठ
<b>अध्याय 5 : छूटों की प्राप्ति</b>		<b>45-49</b>
5.1	छूट की गलत प्राप्ति	45
5.2	छूट की अनुचित प्राप्ति	46
5.3	अन्य मामलें	48
<b>अध्याय 6 : अन्य अनुपालन मुद्दे</b>		<b>51-54</b>
6.1	सेवा कर के दर की गलत प्रयोज्यता	51
6.2	ब्याज का गैर/कम भुगतान	52
<b>संकेताक्षर</b>		<b>55</b>

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में निर्माण कार्य अनुबंधों पर सेवा कर की उगाही और संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम हैं और 2010-11 से 2013-14 की अवधि को कवर करती है। बाद की या पूर्व अवधि से संबंधित मामलें जहां भी आवश्यक हो भी शामिल किये गये हैं।

इस प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट वे दृष्टांत हैं जो 2014-15 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई थी।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखाकरण मानकों के अनुसार की गई।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड और इसके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है।

## कार्यकारी सार

हमने निर्माण कार्य अनुबंध सेवाओं को प्रदान कर रहे निर्धारितियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की कि अप्रत्यक्ष कर प्रशासन राजस्व के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त रूप से गठित किया गया है। हमने जांच की कि उपयुक्त निर्धारण और राजस्वों के संग्रहण, चूककर्त्ताओं की पहचान, छूट की निगरानी आदि को सुनिश्चित करने के लिए नियमावली और तत्कालीन निर्देश पर्याप्त थे, और विभाग द्वारा उनका अनुपालन किया गया। 237 निर्धारितियों से संबंधित रिकॉर्डों की जांच सहित 33 चयनित आयुक्तालयों में निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा से निर्माण कार्य अनुबंध सेवा से कर के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित प्रणाली और अनुपालन मुद्दों दोनों के तत्कालीन प्रावधानों में विशेष कमी उजागर की।

क. विभिन्न स्रोतों से इकट्ठे किये गये निर्माण कार्य ठेकेदारों से संबंधित डाटा/डम्प-डाटा के रिकॉर्ड की जांच पर हमने 425 निर्माण कार्य ठेकेदारों की पहचान की जिन्होंने निर्माण कार्य अनुबंधों का कार्य किया था, वे न तो विभाग से पंजीकृत थे न ही ₹ 447.76 करोड़ का सेवा कर अदा किया था।

(पैराग्राफ 2.2.1)

ख. सत्रह आयुक्तालयों के अंतर्गत 1857 मामलों में, हमने ₹ 1.70 करोड़ की विलम्ब फीस सहित 49 महीनों की रेंज तक रिटर्नों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का अवलोकन किया।

(पैराग्राफ 2.5.1)

ग. हमने ₹ 44.74 करोड़ के सेवा कर की गैर-अदायगी/कम अदायगी के 145 मामलों का अवलोकन किया।

(अध्याय 3)

घ. हमने ₹ 22.59 करोड़ राशि के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित लाभ/उपयोगिता के 34 मामलों का अवलोकन किया।

(अध्याय 4)

ङ. हमने ₹ 17.81 करोड़ राशि की अनुचित छूट प्राप्ति के 14 मामलों का अवलोकन किया।

(अध्याय 5)

च. हमने ₹ 8.84 करोड़ के सेवा कर की दर का गलत अनुप्रयोग और ब्याज की गैर अदायगी/कम अदायगी के 44 मामलों का अवलोकन किया।

(अध्याय 6)

### सिफारिशों का सार

1. अंतर विभागीय सहयोग को क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति की बैठकों द्वारा विशेषतः वैट रिकॉर्डों के संबंध में अपंजीकृत सेवा प्रदाता की पहचान और कर आधार को विस्तृत करने के लिए मुख्य वाणिज्यिक कर विभाग के साथ बाध्य कर दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का परिणाम मासिक तकनीकी प्रतिवेदनों (एमटीआरज़) के रूप में आवधिक प्रतिवेदन में परिलक्षित होना चाहिए।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अपने उत्तर(जून 2015) में कहा कि कर 360<sup>0</sup> कार्यक्रम राजस्व विभाग के अंदर ही आरंभ किया गया जहां डाटा सीबीईसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए-21) और छः वैट विभाग जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, केरल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच साझा किया जाता है। प्रणाली और डाटा प्रबंधन महा निदेशालय सीबीईसी हेतु एक नोडल एजेंसी है जो डाटा को समेकित करती है और संबंधित क्षेत्रीय संगठनों से साझा करती है। इसके अतिरिक्त इसने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 15ए और धारा 15बी वित्त अधिनियम, 2014 के द्वारा

शामिल की गई थी जिसे वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 द्वारा सेवा कर जैसे मामलों पर लागू किया गया है, यह कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए विभाग को रिटर्नों की सूचनाओं को प्रस्तुत करना अति बाध्यकर है। इसमें राज्य सरकार, बिजली विभाग आदि के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण शामिल है।

यद्यपि, मंत्रालय द्वारा अंतर-विभागीय सहयोग प्राप्त करने के लिए उठाये गये कदम उचित दिशा में है, मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि उक्त के परिणाम एमटीआरज़ में परिलक्षित है।

2. सीबीईसी विपरीत प्रभार तंत्र के अंतर्गत सेवा कर देयता सहित या तो सेवा प्रदाता या सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा फाईल की गई एसटी-3 रिटर्न से जोड़ने के लिए एक यंत्र को डिजाइन करने के लिए विचार कर सकती है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जून 2015) में कहा कि रिटर्नों की विस्तृत संवीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय संगठनों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें विपरीत प्रभार के अंतर्गत सेवा प्रदाता और प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा कर की समान अदायगी के पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। रिटर्नों का चयन क्षेत्रीय जोखिम कारकों सहित जोखिम मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार, सेवा प्रदाता और प्राप्तकर्ता द्वारा फाईल किये गये एसटी-3 रिटर्नों में, व्यक्तिगत लेन-देनों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इस प्रकार, इस पहलू को भी केवल तब ध्यान में रखा जा सकता है जब रिटर्नों की लेखापरीक्षा प्रति अपवंचन जांच या विस्तृत मैन्यूल संवीक्षा की जानी हो।

डब्ल्यूसीएस पर विपरीत प्रभार को आरंभ करते हुए दिनांक 16 मार्च 2012 के अपने पत्र में सीबीईसी ने कहा कि “यह देखा गया है कि कई पंजीकृत निर्धारिती कर एकत्रित करते हैं परंतु उक्त को विभाग को अदा नहीं करते। यह राजस्व की अहम हानि है, यहां तक कि प्राप्तकर्ता अज्ञाकारी खंड भी लाभप्रद नहीं होता। छोटे व्यवसायों को अयोग्य न बनाते हुए उचित संग्रहण को सुनिश्चित करने की नई योजना का आरंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है।” इस लिए विपरीत

प्रभार को आरंभ करने के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता दोनों द्वारा सरकार का देय सेवा कर अदा किया जाये। यद्यपि एसटी-3 रिटर्न में कोई व्यक्तिगत लेन-देन रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेखापरीक्षा का विचार है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, बोर्ड तंत्र को आरंभ करने पर विचार कर सकता है, ताकि इस मामले को संभाला जा सके।

3. गैर फाइलकर्ता/विलम्ब फाइलकर्ता को देखने के लिए निगरानी तंत्र को स्वयं निर्धारण द्वारा सेवा कर भुगतानों के सुनिश्चित करने के मद्देनजर सुदृढ किया जाना चाहिए।

*सीबीईसी ने अपने उत्तर (जून 2015) में कहा कि प्रणाली और डाटा प्रबंधन महा निदेशालय ने स्टॉप फाइलकर्ता/गैर फाइलकर्ता/विलम्ब फाइलकर्ता जिन पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विचार किया जा सकता है कि पहचान करने के लिए एसीईएस (निर्धारित-वार विस्तृत प्रतिवेदन (एडब्ल्यूडीआर)) में एक उपयोगिता रिपोर्ट तैयार की है।*

नमूना जांच के दौरान यह अवलोकन किया गया कि आयुक्तालय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि एसीईएस के स्वचालित वातावरण में, सीबीईसी रिटर्नों की विलम्बित फाइलिंग पर विलम्ब फीस की स्वतः उगाही पर विचार कर सकती है।

4. सीबीईसी रिकॉर्ड के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता की समीक्षा कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि नियम का सख्ती से पालन किया गया है या आवश्यकतानुसार प्रावधान की पुनरीक्षा कर सकता है।

*मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2015) में अनुपालन हेतु सिफारिश स्वीकार की।*



## अध्याय 1: प्रस्तावना

### 1.1 पृष्ठ भूमि

वर्ष 1994 में वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V द्वारा सेवा कर आरंभ किया गया था।

1994-95 से ₹ 410 करोड़ से 2013-14 के दौरान ₹ 1,54,780 करोड़ तक सेवा कर में काफी अधिक वृद्धि हुई। सेवा कर में यह वृद्धि मुख्यतः करयोग्य सेवाओं की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है, जो 1 जुलाई 2012 से प्रभावी नकारात्मक सूची अभिगम के प्रारंभ करने के बाद नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर; सभी सेवाओं पर जो 1994 से 3 से बढ़ चुका है। सेवा कर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में कुल वृद्धि के कारण भी है।

निर्माण कार्य अनुबंध सेवा (डब्ल्यूसीएस) 1 जून 2007 से प्रभावी कर योग्य सेवाओं की सूची में सम्मिलित थी। इस सेवा का कार्यक्षेत्र को वित्त अधिनियमों में परिवर्तनों/संशोधनों द्वारा समय-समय पर विस्तार किया जाता है।

डब्ल्यूसीएस सेवा कर संग्रहणों के शीर्ष तीन सहयोगियों में से एक है और 2013-14 के दौरान ₹ 7,434 करोड़ जो कुल सेवा कर संग्रहण का 4.80 प्रतिशत था; डब्ल्यूसीएस द्वारा संग्रहित किया गया। निर्माण कार्य संविदा उन सेवाओं से कर लेती है जिनमें सामान में संपत्ति का स्थानांतरण निर्माण अनुबंध कार्यान्वयन के दौरान सम्मिलित होता है। कर अनुबंध के कार्यान्वयन में शामिल सेवाओं पर होगा।


सामान्यतः सेवा कर की देयता सेवा प्रदाता या सेवा प्राप्तकर्ता पर निर्धारित की जाती है। दोनों अर्थात् कुल चयनित सेवाओं के मामले में सेवा प्रदाता के साथ-साथ सेवा प्राप्तकर्ता पर लाने वाले सेवा कर की अदायगी की देयता है, वहां 1 जुलाई 2012 से कर की एक प्रणाली आरंभ की गई थी। डब्ल्यूसीएस के मामले में करयोग्य क्षेत्र स्थित किसी निगमित निकाय के रूप में पंजीकृत किसी व्यापारिक सत्व से करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों के संगठन सहित व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं, हिन्दु अविभाजित परिवार, स्वामित्व फर्म या सहभागी फर्म के संबंध में सेवा कर आंशिक कर (50 प्रतिशत) सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा और शेष 50 प्रतिशत सेवा प्रदाता द्वारा चुकाया जाता है।

## 1.2 संगठनात्मक ढांचा

राजस्व अधिनियम, 1963 के केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत गठित केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राजस्व का एक भाग है। यह सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संग्रहण और उद्ग्रहण, तस्करी रोकने तथा सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नार्कोटिक्स से संबंधित नीति बनाने के कार्य से जुड़ा है। बोर्ड सीमाशुल्क भवनों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालयों तथा केंद्रीय राजस्व नियंत्रण लेबोरेटरी के साथ-साथ अपने अधीनस्थ संगठनों का प्रशासनिक प्राधिकरण है। सीबीईसी के सदस्य (सेवा कर) के पास सेवा कर से संबंधित मामलों का संपूर्ण प्रभार होता है। मुख्य आयुक्तों/आयुक्तों द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

चार्ट 1.1 सीबीईसी के तहत सेवा कर राजस्व के संग्रहण से संबंधित संगठनात्मक ढांचा और इसकी मॉनीटरिंग दर्शाता है।

चार्ट 1.1: सीबीईसी का संगठन



### 1.3 विधिक प्रावधान

#### 1.3.1 करयोग्य सेवायें

##### 1.3.1.1 1 जून 2007 और 30 जून 2012 के बीच

‘कार्य अनुबंध सेवा’ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)(जेडजेडजेडजेडए) अर्थात्,

“सड़कों, विमानपत्तनों, रेलवे, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, गुफाओं और बांधों से संबंधित कार्यों को छोड़कर कार्य अनुबंध के निष्पादन से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली कोई सेवा।”

इस उपखण्ड के उद्देश्यों हेतु “कार्य ठेका” अर्थात् एक अनुबंध जहाँ,

- i. ऐसे अनुबंध के निष्पादन में निहित वस्तुओं में संपत्ति का स्थानांतरण, वस्तुओं की बिक्री के रूप में वसूली कर योग्य होगा, और
- ii. ऐसा अनुबंध करने का उद्देश्य यह करना है:-
  - क. संयंत्र मशीनरी, उपकरण अथवा ढाँचा स्थापित करना अथवा उसे चालू करना, चाहे पहले से बने हों अथवा नहीं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ लगाना, प्लंबिंग, नाली बिछाना अथवा तरल पदार्थों के परिवहन हेतु अन्य अधिष्ठापन, हीटिंग, वायुसंचार अथवा वातानुकूलन के साथ-साथ उससे जुड़े पाइप कार्य, नलिका कार्य और शीट धातु कार्य, थर्मल इंसुलेशन, ध्वनि इंसुलेशन, फायर प्रूफिंग अथवा वाटर प्रूफिंग एवं एस्कलेटर, अग्निरोधक सीढ़ियां अथवा एलिवेटर्स लगाना; अथवा
  - ख. मुख्य रूप से वाणिज्य अथवा उद्योग के उद्देश्यों के लिए नए भवन अथवा सिविल संरचना अथवा उसके भाग, अथवा, पाइप लाइन अथवा नाली का निर्माण; अथवा
  - ग. नए आवसीय परिसर अथवा उसके भाग का निर्माण; या

घ. पूरा करने और परिष्करण सेवाएं, मरम्मत, अदला-बदली, नवीनीकरण अथवा उसका पुनरुद्धार, अथवा (ख) एवं (ग) से संबंधित समान सेवायें; अथवा

ङ. इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण या चालू परियोजनाओं की स्थापना (ईपीसी) सहित तैयार शुदा परियोजनाएँ<sup>1</sup> शामिल हैं।

### 1.3.1.2 1 जुलाई 2012 से

धारा 65(44) में “सेवा” का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए विचार करने हेतु किसी गतिविधि का माध्यम है और कुछ गतिविधियाँ जैसे एक गतिविधि जिसमें बिक्री के माध्यम से, उपहार अथवा किसी दूसरे तरीके से अचल संपत्ति अथवा सामान की स्वामित्व का पूर्णतः स्थानांतरण किया जाता है, को छोड़ते हुए एक घोषित सेवा है।

कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा भाग अधिनियम की धारा 66ई(एच) के अनुसार एक घोषित सेवा है (1 जुलाई 2012 से प्रभावी)।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65बी (1 जुलाई 2012 से प्रभावी) “व्याख्या” से संबंधित है और धारा 65बी के खण्ड (54) के साथ पढ़ा जाता है।

कार्य अनुबंध अर्थात् एक अनुबंध जिसमें ऐसे अनुबंध के निष्पादन में निहित वस्तुओं में संपत्ति का स्थांतरण वस्तुओं की बिक्री के रूप में कर उद्ग्रहण योग्य है तथा ऐसे अनुबंध निर्माण, इरेक्शन, स्थापना, अधिष्ठापन, समापन, फिटिंग करने, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीनीकरण किसी चल या अचल संपत्ति अथवा ऐसी संपत्ति के संबंध में एक भाग के स्थानांतरण या कोई अन्य समान गतिविधि करने के लिए हैं। हालांकि निर्माण, इरेक्शन, स्थापना, अधिष्ठापन, समापन, फिटिंग करने, मरम्मत, अनुरक्षण, नवीनीकरण के माध्यम से अथवा सामान्य लोगों द्वारा उपयोग हेतु सड़क परिवहन के लिए

<sup>1</sup> शब्द ‘टर्नकी’ परियोजना/ठेका को ‘इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण अनुबंध के रूप में ब्लैक की विधि शब्दावली में परिभाषित किया गया है - एक तय कीमत, अनुसूची, गहन निर्माण अनुबंध - एकल उद्देश्य परियोजना के निर्माण में जटिल रूप से प्रयुक्त जिसमें ठेकेदार शुरुआत प्रक्रियाएं तैयार करने, निष्पादन जांच करने, संचालन नियमावली बनाने और सुविधा के संचालन हेतु लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और सुविधा के निर्माण हेतु सेवा प्रदान करने के साथ विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों पर सहमत होता है’।

सड़क, पुल, सुरंग अथवा टर्मिनल में परिवर्तन की दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना द्वारा छूट दी गई थी।

### 1.3.2 करयोग्य सेवाओं का मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत करयोग्य सेवाओं के मूल्य की निम्नलिखित तरीके से गणना की जानी अपेक्षित है:

- क. जहां सेवा का प्रावधान पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप में प्राप्त धन के रूप में विचारार्थ हो, तो मूल्य सेवा प्रावधान हेतु सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित कुल राशि होगी।
- ख. जहां सेवा का प्रावधान विचाराधीन है जो पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से धन से संबंधित हो, तो ऐसी राशि का मूल्य धन में प्रभारित सेवा कर के अतिरिक्त के रूप में विचारार्थ होगा।
- ग. जहां सेवा का प्रावधान विचाराधीन है जो सुनिश्चित करने योग्य न हो, तो मूल्य निर्धारण नियमों में निर्धारण तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त खण्ड में प्रावधान है कि

- क. जहां कुल प्रभारित राशि, देय सेवा कर में शामिल हो वहां अतिरिक्त कर के रूप में देय ऐसी राशि का मूल्य प्रभारित कुल राशि के बराबर होगा।
- ख. 'प्रतिफल' में प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए देय कोई भी राशि शामिल है।
- ग. 'कुल प्रभारित राशि' में चेक, क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान, खाते से कटौती और क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स जारी करके भुगतान के किसी रूप में और किसी भी खाते में कोई भी क्रेडिट या डेबिट की गई राशि, जैसा भी मामला हो, चाहे सेवा कर के भुगतान हेतु दायी व्यक्ति के बही खाते में "उचंत लेखें" अथवा अन्य नाम से कहे जाने वाले जहां करयोग्य सेवा का लेन-देन संबद्ध उद्यमों के साथ हों।

#### 1.3.2.1 1 जून 2007 और 30 जून 2012 के बीच लागू नियम

कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा भाग के मूल्य निर्धारण से संबंधित प्रावधान, सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 में निहित है, जो दिनांक 19 अप्रैल 2006 अधिसूचना द्वारा 1 जून 2007 से प्रभावी हुआ।

सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 2ए में प्रावधान है कि अनुबंध कार्य के निष्पादन में निहित सेवाओं से संबंधित करयोग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा:

(i) कार्य अनुबंध सेवा के मूल्य का निर्धारण कार्य अनुबंध हेतु प्रभारित कुल राशि के बराबर ऋण में से उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में निहित वस्तुओं में संपत्ति के स्थानान्तरण मूल्य से घटाकर निर्धारित किया जाएगा।

**क.** हालांकि कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि में वैट अथवा बिक्री कर शामिल नहीं होंगे, जैसा भी मामला हो लेकिन उक्त कार्य अनुबंध अथवा निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के स्थानान्तरण पर यह देय होगा, यदि कोई हो;

**ख.** कार्य अनुबंध सेवा मूल्य में शामिल होंगे-

- i. कार्यों के निष्पादन हेतु श्रम प्रभार;
- ii. श्रम और सेवाओं के लिए उप-ठेकेदार को भुगतान की गई राशि;
- iii. योजना डिजाइनिंग और स्थापत्य शुल्क के लिए प्रभार;
- iv. कार्य अनुबंध के निष्पादन में प्रयुक्त मशीनरी और तंत्रों, अन्य को प्राप्त करने अथवा किराए पर प्रभार;
- v. कार्य अनुबंध के निष्पादन में प्रयुक्त उपभोग वस्तुओं का मूल्य जैसे- पानी, बिजली, ईंधन;
- vi. श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ने वाले ठेकेदार की स्थापना मूल्य;
- vii. श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ने वाले अन्य समान खर्च; और

- viii. श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ने वाले सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित लाभ;
- ग. जहां कार्य अनुबंध के निष्पादन में निहित वस्तुओं में संपत्ति के स्थानान्तरण के वास्तविक मूल्य पर वैट या बिक्री कर का भुगतान किया जाता है जब वैट अथवा बिक्री कर के भुगतान के उद्देश्य से अपनाया गया ऐसा मूल्य जैसा भी मामला हो, कार्य अनुबंध सेवा मूल्य के निर्धारण हेतु उक्त कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के स्थानान्तरण के रूप में लिया जाएगा।

कार्य अनुबंध एक मिश्रित अनुबंध (अर्थात् अनुबंध एवं निहित सामान) है और इसलिए निर्धारण के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। व्यापक रूप से सेवा प्रदाता के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं।

- क. सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली 2006 के नियम 2ए के अनुसार सेवा की मूल्य गणना और ऐसे मूल्य पर शिक्षा अधिभार और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा अधिभार के साथ 10.30 प्रतिशत (मार्च 2012 तक) अथवा 12.36 प्रतिशत सेवा कर का भुगतान करना होगा, जैसा भी मामला हो। ऐसे मामलों में निर्धारिती इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट नहीं ले सकता। इस प्रकार निर्धारिती इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट ले सकता है।
- ख. कार्य अनुबंध (सेवा कर के भुगतान हेतु मिश्रित योजना) नियमावली, 2007 के नियम 3(1) के अनुसार कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि के 4.8 प्रतिशत (1 अप्रैल 2012 से और 1 जुलाई 2012 तक) (शिक्षा अधिभार एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा अधिभार सहित) सेवा कर का भुगतान। ऐसा पूर्व के कार्य अनुबंध (सेवा कर के भुगतान हेतु मिश्रित योजना) नियमावली, 2007 के प्रावधानों के अनुसार था। मिश्रित योजना के 3(2) के अनुसार निर्धारिती इनपुट्स पर सेनवेट क्रेडिट नहीं ले सकता। इस प्रकार, निर्धारिती इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट ले सकता है।

2007 में शुरू हुई मिश्रित योजना के तहत दर दो प्रतिशत थी जिसे बाद में 1 मार्च 2008 से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया गया। 1 अप्रैल 2012 से इस दर को बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया गया।

दोनों मामलों में वैट/बिक्री कर को सेवा कर की गणना करते समय मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

निर्धारित प्रत्येक मामले में प्रत्येक 'कार्य अनुबंध' को अलग-अलग मान सकता था और उपरोक्त (क) अथवा (ख) में से कोई भी विकल्प चुन सकता था। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी कि उसके द्वारा निष्पादित सभी कार्य अनुबंधों में वह एक ही विकल्प चुने।

### 1.3.2.2 1 जुलाई 2012 से लागू नियम

1 जुलाई 2012 से मूल्यांकन से संबंधित स्थिति को सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 2ए(ii) में शामिल किया गया है जो इस प्रकार है:-

(ii) जहां उपरोक्त पैराग्राफ 1.2.2.1 में उल्लिखित खण्ड (i) के अनुसार मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है वहां कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सेवा भाग पर देय कर के दायी व्यक्ति को निम्नलिखित तरीके से देय सेवा कर का निर्धारण करना होगा, नामत:-

- क. मूल कार्य के निष्पादन में किए गए अनुबंध के मामले में कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि के 40 प्रतिशत का भुगतान करना होगा;
- ख. अनुरक्षण अथवा मरम्मत अथवा सुधार या नवीनीकरण या किसी वस्तु की मरम्मत करने के लिए किए गए अनुबंध के मामले में कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि का 70 प्रतिशत सेवा कर देय होगा;
- ग. अनुरक्षण, मरम्मत, समापन और समापन सेवाओं जैसे- किसी अचल संपत्ति के रोगन, प्लास्टरिंग और छत और दीवार टिलिंग, बिजली फिटिंग की स्थापना के साथ-साथ उप-खण्ड (क) और (ख) शामिल नहीं अन्य कार्य अनुबंध के मामले में कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि का 60 प्रतिशत सेवा कर देय होगा;



व्याख्या 1: इस नियम के उद्देश्य हेतु

क. "मूल कार्य" अर्थात्-

- i. सभी नए निर्माण;
- ii. भूमि पर क्षतिग्रस्त ढाँचे अथवा परित्यक्त ढाँचे में सभी प्रकार के बदलाव और जुड़ाव जिसे उपयोगी बनाने की आवश्यकता है;
- iii. संयंत्र मशीनरी, अथवा उपकरण या ढाँचे निर्माण स्थापन, चालू करने, चाहे पहले के बने हो या नहीं;

ख. "कुल राशि" अर्थात् कार्य अनुबंध के निष्पादन से जुड़ी अथवा आपूर्त सेवाओं और सभी वस्तुओं के सही बाजार मूल्य और कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित कुल राशि का कुल जोड़ चाहे इस अनुबंध के तहत आपूर्ति की गई हो अथवा नहीं, करने के पश्चात्-

- i. ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रभारित राशि, यदि कोई हो; और
- ii. उस पर उद्ग्रहीत मूल्य वर्धित कर अथवा बिक्री कर:

बशर्ते कि इस तरह आपूर्त वस्तुओं और सेवाओं का सही बाजार मूल्य सामान्य: स्वाकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया हो।

व्याख्या 2 - संदेह मिटाने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि करयोग्य सेवा प्रदाता सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के प्रावधानों के तहत उक्त कार्य अनुबंध के संबंध में अथवा उसमें प्रयुक्त किसी इनपुट पर अदा किए गए शुल्क या अधिभार का सेनवेट क्रेडिट नहीं लेगा।

#### 1.4 हमने यह विषय क्यों चुना

2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 3,092 करोड़, ₹ 4,179 करोड़, ₹ 4,455 करोड़ और ₹ 7,434 करोड़ राजस्व संग्रहण के साथ डब्ल्यूसीएस शीर्ष दस राजस्व योगदान सेवाओं में से एक है। कार्य अनुबंध से संबंधित नियमों में कई विशेष प्रावधान हैं जो हमें जांच के लिए एक यथार्थपरक क्षेत्र भी प्रदान करते हैं, ऐसे प्रावधानों में कार्य अनुबंध के

संबंध में पूर्वव्यापी मिश्रित योजना, सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 2ए के तहत मूल्यांकन प्रावधान और नए लागू आंशिक प्रतिलोम प्रभार तंत्र शामिल हैं।

### 1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विभागीय तथा निर्धारिती के अभिलेखों की जांच के माध्यम से, हमने यह सुनिश्चित करने की मांग की कि:-

- क. कार्य अनुबंध सेवाओं से संबंधित सेवा कर के उद्ग्रहण, संग्रहण तथा निर्धारण के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार नोटिसों आदि की पर्याप्तता ;
- ख. क्या कानून के मौजूदा प्रावधानों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया जा रहा है;
- ग. क्या सेवा कर के उद्ग्रहण के लिए संभावित सेवा प्रदाताओं को पहचानने तथा उन्हें कर दायरे के अन्दर लाने के लिए एक पर्याप्त व्यवस्था थी; तथा
- घ. क्या एक प्रभावी मॉनीटरिंग तथा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

### 1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कवरेज

हमने 30 प्रतिशत आयुक्तालयों/डिविजनो/रेंजो का चयन किया। ऐसा करते समय, अधिकतम आयुक्तालयों/डिविजनो/रेंजो के साथ-साथ डब्ल्यूसीएस के तहत 2010-11 से 2013-14 के दौरान संग्रहित अधिक राजस्व को कम से कम दो डिविजनो तथा दो रेंजो के साथ चयनित किया गया था। इसके अलावा, सैनवेट सहित पीएलए के माध्यम से ₹ तीन करोड़ प्रति वर्ष से अधिक सेवा कर का भुगतान करने वाले कम से कम पांच निर्धारितियों तथा प्रत्येक चयनित आयुक्तालय से सैनवेट सहित पीएलए के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹ एक करोड़ से अधिक परन्तु ₹ तीन करोड़ से कम सेवा कर का भुगतान करने वाले कम से कम दो निर्धारितियों को कवर किया गया था।

हमने डब्ल्यूसीएस पर निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए 33 चयनित आयुक्तालयों, 66 डिविजनो तथा 116 रेंजो (एसटी, समेकित सीई तथा एसटी सीडीआर तथा एलटीयू) तथा 237 निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की। इस निष्पादन लेखापरीक्षा की जांच अवधि 2010-11 से 2013-14 तक है।

### 1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2013-14 के लिए चयनित आयुक्तालयों द्वारा संग्रहित सेवा कर ₹ 5,164 करोड़ है। हमने ₹ 543.46 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले प्रणाली तथा अनुपालन मामले अर्थात् गैर-पंजीकरण, सेवा कर का भुगतान न करना/कम करना, सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना तथा उपयोग करना, गलत छूट आदि मामले देखे। विभाग ने ₹ 3.92 करोड़ की वसूली सूचित की।

### 1.8 आभार

हम इस लेखापरीक्षा को करने के लिए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने में केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) तथा इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा दिए सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं।

हमने 14 अगस्त 2014 को सीबीईसी के साथ एक एन्ट्री कान्फ्रेंस में निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा कार्यक्षेत्र की चर्चा की तथा 18 जून 2015 को एक्जिट कान्फ्रेंस आयोजित की गई। मंत्रालय ने जून 2015 में सिफारिशों के उत्तर प्रस्तुत किए जिन्हें इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।

## अध्याय 2: मौजूदा प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं

### 2.1 विभाग द्वारा कार्य अनुबंध सेवा प्रदाताओं की पहचान

महानिदेशक सेवा कर (डीजीएसटी) ने क्षेत्रीय संरचनाओं को येलो पेजिज, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकारी जैसे विभिन्न स्रोतों से तथा क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति (आरईआईसी) बैठकों के माध्यम से विशेष रूप से आयकर तथा राज्य बिक्री कर विभागों के साथ अंतर-सरकारी तथा अंतर विभागीय सहयोग के माध्यम से अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए मई 2003 में निर्देश जारी किए। इसके अलावा, सीबीईसी ने अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को नवम्बर 2011 में यह निर्देश दिया कि संभावित निर्धारितियों को लाकर कर दायरे को बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक आयुक्तालय में एक विशेष सेल बनाया जाए।

2.1.1 हमने चयनित आयुक्तालयों<sup>2</sup> से विभागीय पहल अर्थात् एन्टी इवेजन्स विंग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना के महानिदेशक (डीजीसीईआई), सर्वेक्षण तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से किए गए पंजीकरण के विवरणों के संबंध में पूछताछ की। प्राप्त डाटा से यह देखा गया है कि भोपाल (2), कोयम्बटूर (1) तथा जमशेदपुर (23) आयुक्तालयों में केवल 26 मामलों में, डब्ल्यूसीएस के तहत उक्त वर्णित रूप में विभागीय कार्रवाई के माध्यम से पंजीकरण किया गया था। हमने पाया कि 2010-11 तथा 2013-14 के बीच उक्त तीन आयुक्तालयों के लिए डब्ल्यूसीएस के तहत पंजीकरणों की कुल संख्या क्रमशः 1606, 489 तथा 958 थी। तुलना करने पर यह पाया गया कि विभागीय कार्रवाई के कारण पंजीकरणों की प्रतिशतता क्रमशः 0.12, 0.20 तथा 2.40 प्रतिशत थी जो नगण्य है। शेष 30 आयुक्तालयों ने सूचना प्रदान नहीं की।

हमने इसे बताया (दिसम्बर 2014 तथा जनवरी 2015 के बीच), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

<sup>2</sup> अहमदाबाद (एसटी), अहमदाबाद-III, बेंगलुरु-I (एसटी), बेंगलुरु-II (एसटी), बेंगलुरु-V, भोपाल, भुवनेश्वर-I, बिलासपुर, कालीकट, चंडीगढ़-I, चेन्नई (एलटीयू), चेन्नई (एसटी), कोयम्बटूर, दिल्ली-I (एसटी), दुर्गापुर (एसटी), गाजियाबाद, हल्दिया (एसटी), हैदराबाद-II, हैदराबाद-IV, जबलपुर, जयपुर-I, जमशेदपुर, कोलकाता (एसटी), लखनऊ, लुधियाना, मुम्बई-I (एसटी), मुम्बई-II (एसटी), नागपुर, पटना, पुणे-III, रायपुर, रांची तथा सलेम।

2.1.2 कर अपवंचन को रोकना तथा कर आधार को बढ़ाना अधिकतम कर उगाही के लिए कर प्रशासन के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। कर दाताओं द्वारा अधिक स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भरता बढ़ाने के साथ, यह बेईमान निर्धारितियों को कर दायरे में लाने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने हेतु विभाग के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

हमने विभाग द्वारा किए सर्वेक्षण के विवरणों के संबंध में चयनित आयुक्तालयों से पूछताछ की। चार आयुक्तालयों<sup>3</sup> से प्राप्त डाटा ने दर्शाया कि उक्त चार आयुक्तालयों की चयनित रैंजों में 297 सर्वेक्षण किए गए थे। आगे हमने देखा कि आठ आयुक्तालयों<sup>4</sup> ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। शेष 21 आयुक्तालयों ने उनके द्वारा किए सर्वेक्षण की मात्रा से संबंधित डाटा प्रदान नहीं किया।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, पैरा 2.2.1 में विस्तृत रूप से 425 अपंजीकृत निर्धारितियाँ पाए गए। हालांकि, अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं को पहचानने, उन्हें कर दायरे में लाने के लिए सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है, अतः यह प्रतीत होता है कि विभाग इस उपकरण का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर रहा है।

हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2014 तथा जनवरी 2015 के बीच), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

## 2.2 निर्धारितियों का पंजीकरण न होना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 परिकल्पित करती है कि जहां सर्विस के प्रावधान को धन के लिए माना जाता है, वहां ऐसी सर्विस के लिए करयोग्य सर्विस का मूल्य सकल राशि पर प्रभारित होना चाहिए। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 के साथ पठित उक्त कथित सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 के अनुसार, सेवा कर का निर्धारित लक्ष्य तिथि अर्थात् अगले माह के 6<sup>वें</sup> दिन (मार्च के लिए छोड़कर) तक भुगतान किया जाना चाहिए।

<sup>3</sup> कोयम्बटूर, जबलपुर, जमशेदपुर तथा सलेम

<sup>4</sup> अहमदाबाद-III, अहमदाबाद (एसटी), भेपाल, भुवनेश्वर -I, चंडीगढ़-I, हैदराबाद-IV, जयपुर-I तथा लुधियाना।

दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना के अनुसार, निजी, हिन्दू अविभाजित परिवार, करयोग्य क्षेत्र में स्थित एक निकाय निगम के रूप पंजीकृत एक व्यवसाय सत्व के लिए करयोग्य क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों के सहयोग सहित मालिकाना फर्म या साझेदारी फर्म द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संदर्भ में सेवा कर सेवा प्राप्कर्ता द्वारा आंशिक रूप से (50 प्रतिशत) तथा सेवा प्रदात्ता द्वारा शेष 50 प्रतिशत देय है।

2.2.1 राज्य वेट प्रतिदायों, आयकर प्रतिदायों तथा कुछ पंजीकृत सेवा प्रदाताओं के अभिलेखों जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित कार्य ठेकेदारों से संबंधित डाटा/डम्प-डाटा के अभिलेखों की जांच पर, यह पाया गया कि 425 कार्य ठेकेदार न तो विभाग में पंजीकृत थे न ही उन्होंने सेवा कर का भुगतान किया। सम्मिलित सेवा कर राजस्व ₹ 447.76 करोड़ है। पंजीकृत न किए गए निर्धारिती की सूचना को तालिका 2.1 में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 2.1 पंजीकृत न किए गए निर्धारिती

(₹ करोड़)		
निर्धारिती का नाम (मैसर्स)	करयोग्य मूल्य	सेवा कर देयता
1. एसपीएल एंड जीडीसी संयुक्त उद्यम	1,798.41	86.50
2. अर्कन इंजीकोन लिमिटेड	1,668.15	76.87
3. दिनेश कुमार बी. पटेल	541.23	25.22
4. जे.एस. डिजाइन	389.03	19.09
5. रवि कंस्ट्रक्शन	211.77	10.47
6. मारुति कंस्ट्रक्शन कम्पनी	195.20	9.63
7. एश्वर्या इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स	166.38	7.08
8. एम. वेंकटरामा रेड्डी	142.75	6.46
9. बालाजी बिल्डर्स	137.31	6.30
10. एस.आर. रवि शंकर	121.98	5.64
11. अन्य (415 निर्धारिती)	4,262.90	194.49
<b>जोड़ (425 निर्धारिती)</b>	<b>9,635.11</b>	<b>447.76</b>

हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2014 तथा जनवरी 2015 के बीच), विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2015)।

कुछ व्याख्यात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:-

2.2.1.1 वाणिज्यिक कर विभाग, अहमदाबाद के अभिलेखों में, हमने देखा कि अहमदाबाद में छः निर्धारितियों (उक्त तालिका की क्रम संख्या 1 से 6) ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 4,803.79 करोड़ के करयोग्य मूल्य सहित डब्ल्यूसीएस प्रदान किया। हालांकि, वे न तो विभाग में पंजीकृत थे न ही उन्होंने सेवा कर का भुगतान किया था। सम्मिलित सेवा कर राजस्व ₹ 227.78 करोड़ है।

हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

2.2.1.2 वाणिज्यिक कर विभाग, बेंगलुरु के अभिलेखों में, हमने देखा कि बेंगलुरु में चार निर्धारितियों (उक्त तालिका की क्रम संख्या 7 से 10) ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 568.42 करोड़ के करयोग्य मूल्य सहित डब्ल्यूसीएस प्रदान किया। हालांकि, वे न तो विभाग में पंजीकृत थे न ही उन्होंने सेवा कर का भुगतान किया था। सम्मिलित सेवा कर राजस्व ₹ 25.48 करोड़ है।

हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

2.2.1.3 वाणिज्यिक कर विभाग, बेंगलुरु के अभिलेखों में, हमने देखा कि बेंगलुरु में **मैसर्स सीईसी-सोमा-सीसी जेवी** तथा **मैसर्स कृषि इन्फ्राटेक** ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 216.11 करोड़ के करयोग्य मूल्य सहित डब्ल्यूसीएस प्रदान किया। हालांकि, वे न तो विभाग में पंजीकृत थे न ही उन्होंने सेवा कर का भुगतान किया था। सम्मिलित सेवा कर राजस्व ₹ 9.97 करोड़ है।

हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

2.2.1.4 आयकर तथा वाणिज्यिक विभाग, हैदराबाद के अभिलेखों में, हमने देखा कि **मैसर्स सिद्धार्थ कन्सट्रक्शन**, हैदराबाद ने 2013-14 के दौरान ₹ 56 करोड़ के करयोग्य मूल्य सहित डब्ल्यूसीएस प्रदान किया। हालांकि, वे न तो

विभाग में पंजीकृत थे न ही उन्होंने सेवा कर का भुगतान किया था। सम्मिलित सेवा कर राजस्व ₹ 2.77 करोड़ है।

हमने इस विषय में बताया (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

**2.2.1.5 मैसर्स मंगलम बिल्ड डेवलपर्स लि.,** जयपुर के अभिलेखों में, हमने देखा कि **मैसर्स देवी कंस्ट्रक्शन कम्पनी** (मालिकाना फर्म) ने 2013-14 के दौरान आवासीय परिसर के लिए सड़क निर्माण के संबंध में ₹ 31.65 करोड़ करयोग्य मूल्य सहित डब्ल्यूसीएस प्रदान किया। हालांकि, वे न तो विभाग में पंजीकृत थे न ही उन्होंने सेवा कर का भुगतान किया था। सम्मिलित सेवा कर राजस्व ₹ 78.25 लाख है जो कि सेवा कर देयता का 50 प्रतिशत बनता है।

हमने इस विषय में बताया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

**2.2.1.6 तमिलनाडु मूल्य संवर्धित कर (टीएनवीएटी) डम्प डाटा** के साथ-साथ **मैसर्स श्रीवास्तव रियल एस्टेट (प्रा.) लि.,** कोयम्बटूर के अभिलेखों में, हमने पाया कि **मैसर्स वर्षा कलर वर्ल्ड,** सलेम ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 2.45 करोड़ करयोग्य मूल्य सहित डब्ल्यूसीएस प्रदान किया। हालांकि, वे न तो विभाग में पंजीकृत थे न ही उन्होंने सेवा कर का भुगतान किया था। सम्मिलित सेवा कर राजस्व ₹ 11.12 लाख है।

हमने इस विषय में बताया (जनवरी 2015), विभाग ने सूचित किया (मार्च 2015) कि **मैसर्स वर्षा कलर वर्ल्ड** ने सीईआरए लेखापरीक्षा के उपरांत पंजीकरण प्राप्त किया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2015)।

### **सिफारिश संख्या 1**

अंतर विभागीय सहयोग को क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति की बैठकों द्वारा विशेषतः वैट रिकॉर्डों के संबंध में अपंजीकृत सेवा प्रदाता की पहचान और कर आधार को विस्तृत करने के लिए मुख्यतः वाणिज्यिक कर विभाग के साथ बाध्यकर कर दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का परिणाम मासिक तकनीकी



प्रतिवेदनों (एमटीआरज) के रूप में आवधिक प्रतिवेदन में परिलक्षित होना चाहिए।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जून 2015) में कहा कि कर 360<sup>0</sup> कार्यक्रम राजस्व विभाग के अन्दर ही आरंभ किया गया जहां डाटा सीबीईसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), कारपोरेट मामला मंत्रालय (एमसीए-21) और छः वैंट विभाग जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच साझा किया जाता है। प्रणाली और डाटा प्रबंधन महा निदेशालय सीबीईसी हेतु एक नोडल एजेंसी है जो डाटा को समेकित करती है और संबंधित क्षेत्रीय संगठनों से साझा करती है। इसके अतिरिक्त इसने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 15ए और धारा 15बी वित्त अधिनियम, 2014 के द्वारा शामिल की गई थी जिसे वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 द्वारा सेवा कर जैसे मामलों पर लागू किया गया है, यह कुछ विशेष श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए विभाग को रिटर्नों की सूचनाओं को प्रस्तुत करना अति बाध्यकर है। इसमें राज्य सरकार, बिजली विभाग आदि के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण शामिल है।

यद्यपि, मंत्रालय द्वारा अंतर-विभागीय सहयोग प्राप्त करने के लिए उठाये गये कदम उचित दिशा में हैं, मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि उक्त के परिणाम एमटीआरज में परिलक्षित है।

## सिफारिश संख्या 2

सीबीईसी विपरीत प्रभार तंत्र के अंतर्गत सेवा कर देयता सहित या तो सेवा प्रदाता या सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा फाईल की गई एसटी-3 रिटर्न से जोड़ने के लिए एक यंत्र को डिजाइन करने के लिए विचार कर सकती है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जून 2015) में कहा कि रिटर्नों की विस्तृत संवीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय संगठनों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें विपरीत प्रभार के अंतर्गत सेवा प्रदाता और प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा कर की समान अदायगी के पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। रिटर्नों का चयन क्षेत्रीय जोखिम कारकों सहित जोखिम मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार, सेवा प्रदाता और प्राप्तकर्ता द्वारा फाईल किये गये एसटी-3 रिटर्नों में,

व्यक्तिगत लेन-देनों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इस प्रकार, इस पहलू को भी केवल तब ध्यान में रखा जा सकता है जब रिटर्नों की लेखापरीक्षा प्रति अपवंचन जांच या विस्तृत मैन्यूल संवीक्षा की जानी हो।

डब्ल्यूसीएस पर विपरीत प्रभार को आरंभ करते हुए दिनांक 16 मार्च 2012 के अपने पत्र में सीबीईसी ने कहा कि “यह देखा गया है कि कई पंजीकृत निर्धारिती कर इकत्रित करते हैं परंतु उक्त को विभाग को अदा नहीं करते। यह राजस्व की अहम हानि है, यहां तक कि प्राप्तकर्ता ओर आज्ञाकारी अनुभाग भी लाभप्रद नहीं होता। छोटे व्यवसायों को अयोग्य न बनाते हुए उचित संग्रहण को सुनिश्चित करने नई योजना का आरंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है।” इस लिए विपरीत प्रभार को आरंभ करने के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता दोनों द्वारा सरकार का देय सेवा कर अदा किया जाये। यद्यपि एसटी-3 रिटर्न में कोई व्यक्तिगत लेन-देन रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेखापरीक्षा का विचार है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, बोर्ड तंत्र को आरंभ करने पर विचार कर सकता है, ताकि इस मामले को संभाला जा सके।

### 2.3 पंजीकरण में विलम्ब

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4 के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 के अनुसार सेवा कर के भुगतान के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति उस तिथि जिस पर सेवा कर उदग्रहीणय है या कारबार के शुरू होने के तीस दिनों की अवधि में एसटी-1 फार्म में जैसा भी मामला हो, आवेदन करेगा। निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण करने में विफलता के मामले में वह शास्ति का दायी होगा जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 77(1)(ए) के अनुसार ₹ 10,000 तक हो सकती है।

हमने विलम्ब से किए गए पंजीकरण के मामलों में उदग्रहित शास्ति की राशि के संबंध में चयनित कमिश्नरियों से पूछताछ की। केवल पटना और जयपुर। कमिश्नरी ने जानकारी प्रदान की। हमने 27 से 30 माह के बीच के विलम्बित पंजीकरणों के 17 मामले देखे और विभाग ने इन मामलों में कोई शास्ति ही नहीं लगाई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.7 लाख की शास्ति का उदग्रहण नहीं

किया जा सका। शेष चयनित 31 कमिश्नारियों ने यह डाटा उपलब्ध नहीं करवाया था।

हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

## 2.4 विवरणियां दर्ज न कराना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 70(1) के साथ पठित सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 7 में प्रावधान है कि सेवा कर के भुगतान के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उसके द्वारा प्रदत्त सेवा पर देय कर का निर्धारण करेगा और उसे उस विशेष अर्द्धवर्ष के बाद के माह की 25 तक एसटी-3 फार्म में अर्द्धवार्षिक रिटर्न केन्द्रिय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।

2.4.1 हमने चयनित कमिश्नरियों से उनके द्वारा प्राप्त और जांच की गई रिटर्नों के विवरण का पता लगाया। अहमदाबाद (एसटी), भुवनेश्वर-1, कालीकट, चण्डीगढ़-1, लुधियाना और सलेम कमिश्नरियों से प्राप्त डाटा से यह पाया गया कि 37 प्रतिशत रिटर्न अर्थात् देय 57,907 में से 21,386 रिटर्न फाइल नहीं की गई थीं। बाकी 27 कमिश्नरियों ने या ब्यौरा प्रदान नहीं किया था या अधूरा विवरण प्रदान किया था।

नीचे कुछ निदर्शी मामले दिए गए हैं:

2.4.1.1 चेन्नई (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स एलायंस प्रोजेक्ट्स के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारित जनवरी 2006 से डब्ल्यूसीएस में लगा था। यद्यपि निर्धारित ने वर्ष 2005-06 से 2010-11 के लिए ₹ 197.74 करोड़ की कुल आय अर्जित की थी और सेवा कर का भुगतान किया था, उन्होंने मई 2014 तक एसटी-3 रिटर्न फाइल नहीं किया था।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2014) विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2007 से सितम्बर 2012 की अवधि कवर की थी और पाया कि 2005-06 से 2011-12 की अवधि के लिए सेवा प्रदाता ने या तो रिटर्न देरी से फाइल किए या एसटी-3 रिटर्न फाइल नहीं किया और ₹ 0.77 लाख के विलम्ब शुल्क की वसूली की थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने विलम्ब शुल्क की वसूली के बावजूद अभी तक एसटी-3 रिटर्न फाइल नहीं किया जैसाकि निर्धारिती के 2 मई 2014 के पत्र से पाया गया। इसके अलावा, निर्धारिती ने अपने पत्र में बताया कि प्रणाली विलम्बित रिटर्न स्वीकार नहीं कर रहा था। इससे रिटर्न की प्रस्तुती पर नजर रखने के मानीटरिंग तंत्र की प्रभावहीनता और विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी का पता चलता हैं।

मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2005)।

**2.4.1.2** यद्यपि मुम्बई I (एसटी) और मुम्बई II (एसटी) कमिश्नरियों द्वारा रिटर्नों की गैर प्रस्तुती का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, रेंजस के रिकार्डों की जांच से यह पाया गया था कि उपरोक्त कमिश्नरियों में क्रमशः **मैसर्स हबटाऊन लि. और मैसर्स ऐस पाइपलाइन कोन्ट्रैक्टस प्रा. लि.** ने 2012-13 और 2013-14 के बीच की अवधि के दौरान एसटी-3 रिटर्न फाइल नहीं किया था।

हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच), विभाग ने आपत्ति को स्वीकारते हुए दोनों निर्धारितियों से ₹ 1.07 लाख की वसूली के बारे में बताया (फरवरी और मार्च 2015 के बीच)।

मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

**2.4.1.3** इसके अतिरिक्त यादपि गाज़ियाबाद कमिश्नरी द्वारा रिटर्नों की गैर प्रस्तुती का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, हमने विभाग में उपलब्ध रिकार्डों से पाया कि 180 पंजीकृत डब्ल्यूसीएस प्रदाताओं ने 2013-14 की अवधि के लिए रिटर्न फाइल नहीं की थी।

हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2015) विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि 74 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अन्य 106 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करना प्रक्रियाधीन है।

मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

## 2.5 देरी से रिटर्न फाइल करने पर विलम्ब शुल्क न लगाना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 7 सी रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी पर विलम्ब शुल्क जैसा नीचे दर्शाया गया है परिकल्पित करता है:-

- क. ऐसे रिटर्न की प्रस्तुती के लिए निर्धारित तिथि से पन्द्रह दिन पर ₹ 500 की राशि;
- ख. ऐसे रिटर्न की प्रस्तुती के लिए निर्धारित तिथि से 15 दिन से आगे किन्तु 30 दिन बाद नहीं पर ₹ 1,000 की राशि; और
- ग. ऐसे रिटर्न की प्रस्तुती के लिए निर्धारित तिथि से 30 दिन से आगे ₹ 1,000 की राशि तथा 31वें दिन से प्रतिदिन ₹ 100 उक्त रिटर्न की प्रस्तुती की तिथि तक उदग्राह्य है।

तथापि, उदग्राह्य अधिकतम विलम्ब शुल्क 7 अप्रैल 2011 तक ₹ 2,000 और तत्पश्चात वित्त अधिनियम 1994 की धारा 70(1) में जैसा निर्धारित है ₹ 20,000 प्रति रिटर्न से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.5.1 हमने चयनित कमिश्नरियों से विलम्ब से प्राप्त रिटर्नों के विवरण और उस पर लगे विलम्ब शुल्क की जांच की। 17 कमिश्नरियों से प्राप्त डाटा से हमने पाया कि 2010-11 से 2013-14 के दौरान 1,857 मामलों में रिटर्न विलम्ब से फाइल किए गए थे, जिनमें 49 महीने तक के विलम्ब थे जिसमें ₹ 1.70 करोड़ का विलम्ब शुल्क शामिल था। शेष 16 कमिश्नरियों ने विवरण प्रदान नहीं किया था।

हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच) विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रीतक्षित है (जून 2015)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:-

2.5.1.1 हमने 2010-11 से 2013-14 के दौरान भुवनेश्वर । कमिश्नरी में एसटी-3 रिटर्न देरी से फाइल करने के 833 मामले पाए जिनमें 49 महीने तक के विलम्ब थे और जिस पर ₹ 82.58 लाख का विलम्ब शुल्क उदग्राह्य था जो नहीं लगाया गया था।

हमने इस बारे में बताया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

लेखापरीक्षा का मत है कि एसटी-3 रिटर्न फाइल न करने के कारण सेवा के मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ जिस पर सेवा कर का भुगतान किया गया था। इसके अलावा रिटर्नों के अभाव में छूट, सेनवेट, दावे में कमी इत्यादि की सटीकता का सत्यापन नहीं किया जा सका। रिटर्नों को विलम्ब से फाइल करने से संवीक्षा कार्य का लम्बन, मामलों की समय सीमा विभाग के कार्य में वृद्धि अर्थात् एससीएन जारी करना, विलम्बित फाइलों से शुल्क की गणना और संग्रहण में विलम्ब हो सकता है।

### सिफारिश संख्या 3

गैर फाइलकर्ता/विलम्ब फाइलकर्ता को देखने के लिए निगरानी तंत्र को स्वयं निर्धारण द्वारा सेवा कर भुगतानों के सुनिश्चित करने के मद्देनजर सुदृढ किया जाना चाहिए।

*सीबीईसी ने अपने उत्तर (जून 2015) में कहा कि प्रणाली और डाटा प्रबंधन महा निदेशालय ने स्टॉप फाइलकर्ता/गैर फाइलकर्ता/विलम्ब फाइलकर्ता जिन पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विचार किया जा सकता है कि पहचान करने के लिए एसीईएस (निर्धारित-वार विस्तृत प्रतिवेदन (एडब्ल्यूडीआर)) में एक उपयोगिता रिपोर्ट तैयार की है।*

नमूना जांच के दौरान यह अवलोकन किया गया कि आयुक्तालय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि एसीईएस के स्वचालित वातावरण में, सीबीईसी रिटर्नों की विलम्बित फाइलिंग पर विलम्ब फीस की स्वतः उगाही पर विचार कर सकती है।

## 2.6 रिटर्नों की समीक्षा

### 2.6.1 समीक्षा और सुधार

विभाग रिटर्नों में दोषों को सुधारने के लिए समीक्षा और सुधार (आरएवंसी) तंत्र का प्रयोग करता है। बोर्ड ने 1 जून 2012 के पत्र द्वारा निर्देश दिए कि प्रत्येक रैंज अधिकारी को विसंगतियों को सुधारने के लिए 30 दिनों के अन्दर आर एवं सी करना आवश्यक हैं।

हमने चयनित कमिश्नरियों से आरएवंसी और उसके निपटान के लिए चिह्नित रिटर्नों की मात्रा के बारे में पूछताछ की। छः कमिश्नरियों से प्राप्त डाटा से हमने पाया कि 2010-11 से 2013-14 के दौरान फाइल की गई 21,846 रिटर्नों में से आरएवंसी के लिए 13,293 एसटी-3 रिटर्न चिह्नित किए गए थे। उपरोक्त 13,293 रिटर्नों में से 31 अगस्त 2014 तक 7,740 रिटर्न लम्बित थी। हमने यह भी पाया कि 5,553 रिटर्नों में से विभाग द्वारा केवल 13 मामलों में ₹ 0.99 लाख की शास्ति की मांग की गई थी। बाकी 27 कमिश्नरियों ने या तो विवरण प्रदान नहीं किया या अधूरा विवरण प्रदान किया था।

हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच); विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि रिटर्नों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधन का प्रभावी उपयोग नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि आरएवंसी कार्य करने में विलम्ब में राजस्व की हानि का जोखिम सम्मिलित हैं।

### 2.6.2 विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर रिटर्न में दी गई सूचना की वैद्यता स्थापित करना और ली गई छूट अधिसूचना इत्यादि के लाभ की स्वीकार्यता पर विचार करने के बाद मूल्यांकन की सटीकता, सेनवेट क्रेडिट लेने, लगाए गए कर का वर्गीकरण और प्रभावी दर सुनिश्चित करना है। प्रारंभिक जांच के विपरीत विस्तृत संवीक्षा केवल कुछ चयनित रिटर्नों को कवर करने के लिए है जिनकी पहचान जोखिम मानदंडों के आधार पर, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न में दी गई सूचना से विकसित की जाती है।

सेवा कर रिटर्न, 2009 की संवीक्षा के लिए नियमावली के अध्याय 4 में विस्तृत जांच के लिए पहचाने गए जोखिम मानदंडों के आधार पर कुल रिटर्नों में से दो प्रतिशत से अधिक का चयन नहीं किया जाना परिकल्पित है।

दिनांक 11 मई 2009 के सीबीईसी के परिपत्र के अनुसार एक बार एसीईएस कार्यान्वित किए जाने पर रिटर्न जोखिम के अवरोही क्रम में स्वतः ही सूचीबद्ध हो जाएगी और आयुक्त को चयन हेतु प्रस्तुत की जाएगी। बोर्ड के दिनांक 1 जून 2012 के पत्र के अनुसार रेंजस ऐसे समय तक विस्तृत हस्त संवीक्षा करेगा क्योंकि रिटर्नों के चयन की प्रक्रिया के लिए विस्तृत संवीक्षा एसीईएस में स्वाचालित हैं।

हमने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा की गई विस्तृत संवीक्षा के डाटा के बारे में चयनित कमिशनरियों से पूछताछ की थी। हमारे प्रश्नों के उत्तर में 32 कमिशनरियों ने सूचना दी कि उन्होंने डब्ल्यूसीएस के अन्तर्गत कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की। केवल हैदराबाद IV कमीशनरी ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान दो रिटर्नों के संबंध में विस्तृत संवीक्षा की थी।

यह पाया गया कि 2011-12 और 2012-13 की अवधि के दौरान चयनित 26 कमिशनरियों ने केवल 121 रिटर्नों की संवीक्षा की थी जो सभी सेवाओं से संबंधित कुल प्राप्त रिटर्नों का 0.1 प्रतिशत से कम है जैसा कि सीएजी की 2015 की रिपोर्ट संख्या 4 में बताया गया था।

## 2.7 प्रेषण विवरण का सत्यापन न करना

1 अप्रैल 2010 से सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6(2) के परंतुक के अनुसार जहां एक निर्धारिती ने पिछले वित्तीय वर्ष में सेनवेट क्रेडिट के उपयोग द्वारा दत्त राशि सहित ₹ 10 लाख या उससे अधिक के कुल सेवा कर का भुगतान किया है उसे उसके द्वारा देय सेवा कर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करना होगा। प्रावधान को आगे संशोधित किया गया और सेवा कर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान को सभी सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य किया गया था जिन्होंने 1 जनवरी 2013 से ₹ एक लाख से अधिक का भुगतान किया था।



कोयम्बटूर कमिश्नरी में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि आठ निर्धारितियों के मैनुअल चालान द्वारा सेवा कर प्रेषित किया था जबकि वह इलैक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने के दायी हैं।

हमने आगे पाया कि पांच कमिश्नरियों में 27 मामलों के संबंध में, एसटी-3 रिटर्न में दर्शाए गए सेवा कर भुगतान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलैक्ट्रॉनिक लेखाकरण प्रणाली में दर्शाए गए प्रेषण की राशि से मेल नहीं खाते थे। विभाग द्वारा इसका आगे सत्यापन करने की आवश्यकता है।

हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच) विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2015)।

## 2.8 आन्तरिक नियंत्रण

### 2.8.1 रिकार्डों की सूची की प्रस्तुती की मानीटरिंग

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 5(2) के अनुसार, प्रत्येक निर्धारिती को पहली बार रिटर्न जमा करने के समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को उसके द्वारा तैयार या अनुरक्षित सभी रिकार्डों की दो प्रतियों में एक सूची प्रस्तुत करनी होगी।

हमने चयनित कमिश्नरियों से निर्धारितियों द्वारा उनकी पहली रिटर्न के साथ प्रस्तुत पुस्तकों की सूची के विवरण से संबंधित पूछताछ की। हमारी पूछताछ पर केवल छः कमिश्नरियों ने उत्तर दिया। उनसे प्राप्त डाटा दर्शाता है कि 498 निर्धारितियों ने लेखा बहियों की सूची प्रस्तुत नहीं की।

यह स्पष्ट है कि विभाग ने उपरोक्त अभिलेखों की फाइलिंग की निगरानी नहीं की। शेष 27 कमिश्नरी ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये।

हमने इसे बताया (दिसम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच), मंत्रालय/विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

### सिफारिश संख्या 4

सीबीईसी को अभिलेखों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की कि नियमों का सख्ती से पालन हो नहीं तो तदनुसार प्रावधान को संशोधित किया जा सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2015) में अनुपालन के लिये सिफारिश को स्वीकार किया।

### 2.8.2 आगे की अवधि के लिये कारण बताओं नोटिस जारी न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1ए) के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को किसी नोटिस या तामील किये गये नोटिस के बाद, विवरण देना होगा जिसमें न वसूले गये सेवा कर का विवरण या कम वसूला/कम भुगतान किया गया या सेवा कर देने के लिये प्रभार्य व्यक्ति पर बाद की अवधि के लिये गलती से वापस राशि शामिल होती है, फिर, ऐसे विवरण की सेवा को ऐसे व्यक्ति पर नोटिस की सेवा माना जायेगा इस शर्त पर कि अनुवर्ती अवधि के लिये निर्भर आधार पूर्व के नोटिस में उल्लिखित जैसे ही हों।

2.8.2.1 हैदराबाद-॥ कमीशनरी में, **मैसर्स अपर्णा कंस्ट्रक्शन और एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड** के अभिलेखों की जांच की दौरान, हमने देखा कि विभाग ने 22 सितंबर 2014 को 2010-11 से 2011-12 की अवधि के लिये ₹ 6.13 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। तथापि, यह देखा गया कि अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2014 की अवधि के लिये कोई भी अनुवर्ती विवरण/ कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.43 करोड़ के सेवा कर की उगाही नहीं हुई।

हमने यह बताया (अक्टूबर 2014), विभाग ने कहा (नवंबर 2015) कि मामले की जांच की जायेगी और अनुपालन रिपोर्ट किया जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

2.8.2.2 इसी प्रकार, कोयंबटूर कमीशनरी ने **मैसर्स पलादा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में विभाग ने 17 अक्टूबर 2013 को 2008-09 से 2011-12 की अवधि के लिये ₹ 4.59 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुये कारण बताओं नोटिस जारी किया। तथापि नवंबर 2014 तक अप्रैल से जून 2012 की आगे की अवधि के लिये कोई भी अनुवर्ती विवरण/कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.83 लाख के सेवा कर की उगाही नहीं हुई।

हमने इस और ध्यान दिलाया (नवंबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

## 2.9 लेखापरीक्षा के लिये अनिवार्य इकाइयों का चयन

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में मुख्य अनुपालन पुष्टि तंत्र है, जिसमें जोखिम मानदंड के आधार पर निर्धारित इकाइयों का चयन और निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुपालन का स्तर सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल है। सभी कमीशनरी का सहायक/उप आयुक्त और लेखापरीक्षाकों द्वारा संचालित और अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सेल होता है और यह सेल लेखापरीक्षा योजना तैयार, समन्वित और पर नजर रखता है।

सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल, 2011 के पैराग्राफ 5.1.2 के अनुसार कर दाता जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक कर भुगतान (नकद और सेनवेट) तीन करोड़ या अधिक हो प्रत्येक वर्ष अनिवार्य लेखापरीक्षा के अधीन होंगे और जो ₹ एक और ₹ तीन करोड़ के बीच सेवा कर अदा करते हैं की प्रत्येक दो वर्षों में एक बार लेखापरीक्षा होगी।

2.9.1 अहमदाबाद (एसटी) कमीशनरी में, हमने देखा कि दो डब्ल्यूसीएस प्रदाता अर्थात् मैसर्स एस. खुराना इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एचपीसीएल ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान, ₹ तीन करोड़ से अधिक के सेवा कर का भुगतान किया या जिन्हें प्रत्येक वर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से कवर किया जाना था। तथापि, इन दोनों मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

बैंगलुरु कमीशनरी में पांच<sup>5</sup> अन्य डब्ल्यूसीएस प्रदाताओं ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ तीन करोड़ से अधिक सेवा कर का भुगतान किया था जिन्हें प्रत्येक वर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से कवर किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया था।

---

<sup>5</sup> मैसर्स सिनर्जी प्रोपर्टी डिवेलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स यूरेका फोर्बस लिमिटेड, मैसर्स एल एंड डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सालापुरिया प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स प्रोविडेंट हाउसिंग लिमिटेड।

हमने इसे बताया (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

### अध्याय 3: सेवा कर की उगाही

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 में उल्लिखित है कि जहां सेवा कर का प्रावधान धन के प्रतिफल के लिये है करयोग्य सेवा का मूल्य ऐसी सेवा के लिये प्रभावित सकल राशि होगी।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹ 44.74 करोड़ के सेवा कर के गैर/कम-भुगतान के 145 मामलों को देखा। इनमें से ₹ 1.92 करोड़ की राशि 23 मामलों में उगाही की गई।

कुछ उदाहरणार्थ मामले नीचे दिये गये हैं:-

#### 3.1 भुगतान न किया गया सेवा कर

3.1.1 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (जेडजेडजेडजेडए) के अनुसार, करयोग्य सेवा का अर्थ है” रोड़, हवाई अड्डे, रेलवे, यातायात टर्मिनल, पुल, सुरंगों, बांधों के संबंध में निर्माण कार्य को छोड़कर, निर्माण कार्य अनुबंध के निष्पादन के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा और निर्माण के उद्देश्य से किया गया ठेका, मशीनरी, उपकरण का चालू होना या स्थापना आदि, चाहे पूर्वनिर्मित या अन्यथा शामिल हो”।

रांची कमीशनरी में **मैसर्स एचईसी लिमिटेड** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि उन्होंने आपूर्ति आदेश के प्रति उपभोक्ताओं को कमीशनरी/उपकरण की आपूर्ति की और अप्रैल 2011 और मार्च 2014 के बीच निर्माण और उपकरणों को चालू करने और जांच आदि जैसी सेवाएँ भी प्रदान की। निर्धारिती को आपूर्ति किये गये उपकरण के निर्माण, शुरू, जांच आदि के कारण ₹ 44.71 करोड़ प्राप्त हुये लेकिन इस राशि पर सेवा कर भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.21 करोड़ के सेवा कर की उगाही नहीं हुई।

हमने यह बताया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.2 इसी प्रकार, रांची और जमशेदपुर कमीशनरी में आठ अन्य मामलों में हमने देखा कि उन्होंने आपूर्ति आदेश के प्रति उपभोक्ताओं को मशनरी/उपकरण की आपूर्ति की और अप्रैल 2011 और मार्च 2014 के बीच निर्माण और उपकरणों को चालू करने और जांच आदि जैसी सेवाएँ भी प्रदान की। निर्धारिती को आपूर्ति किये गये उपकरण के निर्माण, शुरू करने, जांच आदि के कारण ₹ 98.15 करोड़ प्राप्त हुये लेकिन इस राशि पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ के सेवा कर उगाही नहीं हुई।

हमने यह बताया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.3 चण्डीगढ़-। कमीशनरी में मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती 2013-14 के दौरान शिमला जिले में सावरा कुड्डु में साबरा कुड्डु हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण में ₹ 80.88 करोड़ के मूल्य के अनुबंध से जुड़ा था। तथापि, निर्धारिती ने उपरोक्त कार्य के निष्पादन के लिये ₹ चार करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमने यह बताया (नवंबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.4 हैदराबाद-IV कमीशनरी में मैसर्स इंदु परियोजना लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती डब्ल्यूसीएस सहित कई सेवाएँ प्रदान कर रहा था। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के लिये निर्धारितियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले सेवा कर की राशि ₹ 14.30 करोड़ थी। तथापि, निर्धारिती ने ₹ 10.43 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.87 के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.5 हैदराबाद (एसटी) कमीशनरी में, **मैसर्स रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**, के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती डब्ल्यूसीएस सहित कई सेवाएं प्रदान कर रहा था। निर्धारिती द्वारा दिया जाने वाला सेवा कर अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक अवधि के लिये ₹ 4.96 करोड़ था। तथापि, निर्धारिती ने ₹ 1.03 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.93 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने यह बताया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.6 जयपुर-1 कमीशनरी में **मैसर्स राजेन्द्र मित्तल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती को वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान **श्री सीमेंट लिमिटेड, वंडर सीमेंट लिमिटेड और पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** नाम के अपने उपभोक्ताओं को वाणिज्य और उद्योग के उद्देश्य हेतु तत्संबंधी भाग या सिविल संरचना या नई बिल्डिंग के निर्माण के संबंध में ₹ 19.02 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। तथापि, निर्धारिती ने ₹ 85.93 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमने इस ओर ध्यान दिलाया (नवंबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.7 पटना कमीशनरी में **मैसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड** के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती को डब्ल्यूसीएस के लिये अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान **मैसर्स एनटीपीसी**, बाढ़ से ₹ 18.12 करोड़ की राशि प्राप्त हुई तथापि, निर्धारिती ने ₹ 80.85 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमने यह बताया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

3.1.8 जयपुर कमीशनरी में **मैसर्स मंगलम बिल्ड डिवेलपर्स लिमिटेड** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती को आवासीय

परियोजनाओं में सड़क निर्माण के संबंध में ₹ 31.65 करोड़ के मूल्य के लिये 2013-14 के दौरान स्वाधिकृत फर्म (मैसर्स देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी) से डब्ल्यूसीएस प्राप्त हुआ लेकिन 50 प्रतिशत देय सेवा कर होने पर ₹ 78.25 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2015)।

### 3.2 मुफ्त आपूर्ति के मूल्य को शामिल न करना

सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2006 के नियम 2ए(ii)ए के अनुसार, यदि निर्माण अनुबंध वास्तविक निर्माण कार्य में निष्पादन के लिये किया गया हो, सेवा कर निर्माण कार्य अनुबंध के लिये प्रभारित कुल राशि के 40 प्रतिशत पर देय होगा। इसके आधार पर स्पष्टीकरण (बी) के अनुसार, निर्माण अनुबंध के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के लिये "कुल राशि" में निर्माण कार्य अनुबंध के निष्पादन के संबंध में या आपूर्ति की गई सेवाएँ और सभी माल का उचित बाजार मूल्य और निर्माण कार्य अनुबंध के लिये प्रभारित सकल राशि का कुल योग शामिल होगा, चाहे महत्व का हो या अन्यथा, मामले में जहां सेवा भाग का मूल्य नियम 2ए(i) के अंतर्गत निर्धारित नहीं किया जा सकता।

3.2.1 हैदराबाद-IV कमीशनरी में मैसर्स मित्राह एनर्जी (आई) लिमिटेड और मैसर्स बिंदु ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने मुफ्त सामग्री अर्थात् इस्पात, यूनिट ट्रांसफार्मर, यूनिट ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के निर्माण कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल इलेक्ट्रिकल कार्य की यूनिट, इलेक्ट्रिकल लाइन मद, अक्षय यंत्र के भाग, यूनिट ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन आदि के मूल्य को जोड़े बिना सेवा कर लगाया जो उचित नहीं है। मुफ्त आपूर्ति सामग्री का मूल्य ₹ 113.11 करोड़ था। निशुल्क आपूर्ति सामग्री के वास्तविक मूल्य को शामिल ना करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.37 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।



हमने यह दर्शाया है (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

**3.2.2** कालीकट कमीशनरी में, **मैसर्स हिलिएट प्रोजेक्ट्स** के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान प्रभारित सकल राशि के 40 प्रतिशत पर सेवा कर का भुगतान करने के बजाए कुल प्राप्ति (सीमेंट तथा इस्पात की निशुल्क आपूर्ति का मूल्य उपलब्ध ना होने के कारण कुल प्राप्ति में 20 प्रतिशत जोड़ कर मूल्य गिना गया था) के 60 प्रतिशत पर मूल कार्य के लिए सेवा कर की अदायगी की, जो गलत है। नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निशुल्क आपूर्ति सामग्री के सही मूल्य को अपनाने के स्थान पर गलत प्रतिशतता को अपनाने की अनुमति देता हो। हमने निर्धारिती से पता लगाया कि निशुल्क आपूर्ति सामग्री का सही मूल्य ₹ 20.06 करोड़ बनता है। निशुल्क आपूर्ति सामग्री का वास्तविक मूल्य शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹ 40.28 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने यह दर्शाया है (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

**3.2.3** हल्दिया कमीशनरी में **मै. प्रोग्रेसिव इन्डीवर्स प्रा. लि.** के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा था कि निर्धारिती ने **मैसर्स गोदरेज एगोवेट लि.** के साथ किये गए निर्माण अनुबंधों के संबंध में सेवा कर का भुगतान किया था परन्तु ₹ 4.34 करोड़ की लागत के निशुल्क आपूर्ति किये गए सीमेन्ट तथा इस्पात का मूल्य शामिल नहीं किया था जिसके कारण सेवा का कम मूल्यांकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 21.47 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमने यह दर्शाया है (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

### 3.3 कराधान केन्द्र नियमावली का अनुचित प्रयोग

कराधान केन्द्र नियमावली, 2011 के नियम 3(बी) (i) के अनुसार 'सेवा की निरंतर आपूर्ति' का अर्थ है जहां पूरी सेवा अथवा इसके एक भाग के प्रावधान का निर्णय संविदा के अनुसार एक घटना की पूर्णता पर आवधिक रूप से किया जाता है जिसमें सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता को कोई भुगतान करना अपेक्षित है तो ऐसी प्रत्येक घटना की पूर्णता तिथि जैसा कि संविदा में स्पष्ट की गई है, सेवा के प्रावधान की पूर्णता तिथि मानी जाएगी।

मुम्बई-11 (एसटी) कमीशनरी में मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने मुख्य ठेकेदार के रूप में विकासकों जैसे रूस्तमजी रियल्टी प्रा.लि., टाटा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डब्ल्यूसीएस उपलब्ध कराए थे तथा प्रभारित की गई कुल राशि के मूल्य के 40 प्रतिशत पर सेवा कर देयता का निवर्हन किया था, जिसके लिए भुगतान संविदात्मक अनुबन्ध के अनुसार विकासकों द्वारा प्रमाणित किये गए थे। तथापि, निर्धारिती ने 31 मार्च 2014 तक उठाए गए बिलों के लिए अप्रमाणित राशि होने के नाते 2013-14 के दौरान कुल राशि से ₹ 59.41 करोड़ की राशि निकाल दी थी। चूंकि डब्ल्यूसीएस सेवा की निरंतर आपूर्ति होने के कारण, किये गए कार्यों की पूर्णता पर विकासक को कर बीजक के रूप में बिलों का प्रस्तुतिकरण अथवा प्रक्रमण, बिलों के प्रमाणीकरण की तिथि के प्रति कराधान का केन्द्र था। इसलिए, उपरोक्त राशि को शामिल न करने के कारण, वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 2.93 करोड़ के सेवा कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

दर्शाये जाने पर (नवम्बर 2014), विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2015) कि ₹ 2.93 करोड़ के लिए एक कारण बताओ ज्ञापन मार्च 2015 में जारी किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

### 3.4 समय पर सेवा कर का भुगतान ना करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के साथ पठित धारा 65(105) के अनुसार, सेवा कर इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि सेवाएं कब उपलब्ध कराई गई हैं जिनके संबंध में अग्रिम भुगतान प्राप्त किया गया है, अग्रिम भुगतान की प्राप्ति पर देय होगा।

इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2005 से सेवा कर नियमावली, 2005 के नियम 6 के अनुसार, मार्च में समाप्त होने वाली तिमाही को छोड़कर जिसका भुगतान कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट में किया जाएगा, सेवा कर योग्य सेवाओं के मूल्य के प्रति जिस माह में भुगतान प्राप्त किये गए हैं, के अगले माह की 5वीं/6ठी तक केन्द्रीय सरकार के क्रेडिट में भुगतान किया जाएगा।

दिल्ली (एसटी) कमीशनरी में, मैसर्स सिन्डा इंजीनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रा. लि. के एसटी-3 रिटर्न तथा रनिंग अकाउंट बिल की नमूनाजांच के दौरान हमने देखा कि 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने फरवरी 2013 के माह में मैसर्स चाइना स्टील कारपोरेशन इण्डिया प्रा. लि. के लिए सिविल निर्माण कार्य के प्रति ₹ 31.97 करोड़ (माल तथा सेवाओं के लिए) का अग्रिम प्राप्त किया था। तथापि, निर्धारिती ने प्राप्त किये गए अग्रिम की प्राप्ति तिथि (7 फरवरी 2013 से 2 जुलाई 2014 के बीच) के बजाए रनिंग अकाउंट बिल की तिथियों पर सेवा कर भुगतान किये थे। इसके अतिरिक्त, 2 जुलाई 2014 के पश्चात ₹ 17.68 करोड़ का बकाया संग्रहण शेष था जिस पर निर्धारिती द्वारा सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप फरवरी 2015 तक ₹ 2.19 करोड़ के सेवा कर तथा ₹ 1.05 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (फरवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

## अध्याय 4: सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति/उपयोग

करयोग्य सेवाओं का एक प्रदाता, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4 के अनुसार, इनपुट तथा पूंजीगत माल पर भुगतान किये गए उत्पाद शुल्क तथा किसी इनपुट सेवा पर भुगतान किये गए सेवा कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। कुछ शर्तों को पूरा करने के विषयाधीन क्रेडिट का उपयोग सेवा कर के भुगतान के प्रति किया जा सकता है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति/उपयोग के 34 मामले देखे जिनमें ₹ 22.59 करोड़ की राशि शामिल थी, जिसमें से ₹ 1.09 करोड़ 13 मामलों में वसूल किये गए हैं।

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:-

### 4.1 इनपुट सेवाओं का अनुचित क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(एल) (ए) के अनुसार, इनपुट सेवाओं से, डब्ल्यूसीएस के प्रावधान को छोड़कर, एक भवन अथवा एक सिविल संरचना के निर्माण अथवा निर्माण संविदा के कार्यान्वयन हेतु प्रयुक्त निर्माण सेवाओं एवं निर्माण संविदा के कार्यान्वयन में सेवा भाग को बाहर निकाला गया है।

बिलासपुर कमीशनरी में, मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि निर्धारिती ने डब्ल्यूसीएस पर ₹ 9.03 करोड़ का इनपुट सेवा क्रेडिट लिया था जिसे विशिष्ट रूप से इनपुट सेवा की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.03 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति तथा उपयोग हुआ जो वसूली योग्य है।

हमने यह दर्शाया (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2015)।

## 4.2 शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त अन्तिम उत्पाद दोनों के लिए इनपुट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अनुसार, अलग अलग लेखा ना बनाने के विकल्प का चयन करने वाले आउटपुट सेवा के किसी प्रदाता के पास नियम 6(3ए) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात नियम 6(3)(i) अथवा 6(3)(ii) के अन्तर्गत क्रमशः छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने अथवा प्रयुक्त इनपुट अथवा छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधानों के संबंध में सेवाओं पर आरोप्य सेनवेट क्रेडिट को वापस करने का विकल्प होगा।

20 जून 2012 की अधिसूचना के अनुसार सेवा कर से छूट होगी जब आवासीय काम्प्लैक्सों की बिक्री सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात होती है।

4.2.1 हैदराबाद-IV कमीशनरी में, मैसर्स हिल काउन्टी प्रोपर्टीज लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, मार्च 2014 तक ₹ 44.57 करोड़ के लिए 45 फ्लैटों की बिक्री के लिए डब्ल्यूसीएस के अन्तर्गत छूट प्राप्त की थी। हालांकि, तब से निर्धारिती करयोग्य तथा छूट प्राप्त सेवा के इनपुट सेवा क्रेडिट के संबंध में लेखाओं के पृथक सेट का अनुरक्षण नहीं किया इसलिए निर्धारिती से ₹ 2.67 करोड़ के सेवा कर का भुगतान करना अपेक्षित है।

हमने यह दर्शाया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

4.2.2 चेन्नई (एलटीयू) कमीशनरी में मैसर्स जोनसन लिफ्ट्स प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त डब्ल्यूसीएस दोनों की सामान्य इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। चूंकि छूट प्राप्त सेवा का मूल्य ₹ 3.67 करोड़ है, इसलिए निर्धारिती से ₹ 20.81 लाख के सेवा कर का भुगतान करना अपेक्षित है।

हमने इसे दर्शाया (दिसम्बर 2014), विभाग ने ₹ 20.81 लाख की वसूली की सूचना दी (फरवरी 2015)।

मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

**4.2.3 मुम्बई-। (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स विंडसर रियल्टी प्रा.लि. की एसटी-3 विवरणियों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से नियम 6(3)के अन्तिर्गत देय राशि के रूप में ₹ 1.18 करोड़ की राशि को दर्शाया था। हालांकि, किए गए भुगतानों हेतु कॉलम (13.1.3.7) के प्रति इस राशि को नहीं दर्शाया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त राशि की निर्धारिती द्वारा वास्तव में अदायगी नहीं की गई थी जिसे वसूल किए जाने की आवश्यकता है।**

हमने इसे दर्शाया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

**4.2.4 चेन्नई (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स वीए टेक वबाग लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने जुलाई 2012 से मार्च 2014 के बीच छूट प्राप्त तथा करयोग्य सेवाएं प्रदान की थी किन्तु उसने इनपुट सेवाओं पर पृथक लेखाओं का रख-रखाव नहीं किया। उन्होंने सामान्य इनपुट सेवाओं अर्थात् परामर्श दात्री, लेखापरीक्षा शुल्क, विज्ञापन आदि, पर छूट प्राप्त तथा करयोग्य दोनों सेवाओं पर 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 30.09 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था जो वसूली योग्य है।**

हमने इसे दर्शाया (अक्तुबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)। हालांकि, निर्धारिती ने ₹ 30.09 लाख की राशि वापस कर दी थी।

#### **4.3 सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति**

एक सेवा प्रदाता उसके सेवा कार्यकलापों से संबंधित इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर और इनपुटों और/या पूंजीगत माल पर भुगतान

किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्रेडिट प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार प्राप्त किए गए क्रेडिट का सेवा कर के भुगतान में उपयोग कर सकता है।

**4.3.1 मुम्बई-II (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स पटेल रियल्टी (इंडिया) लि.** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने एसटी-3 विवरणियों से देखा कि सितम्बर और अक्टूबर 2013 के दौरान विवरणियों में दर्शाए गए ₹ 3.51 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट के अथ और अंत शेष के बीच अंतर था। इसके परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति हुई।

हमने इसे दर्शाया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

**4.3.2 इसी प्रकार, एक अन्य मामले अर्थात् मुम्बई-I (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स वाधवा ग्रुप हाऊसिंग प्रा. लि.** में हमने एसटी-3 विवरणियों से देखा कि सितम्बर और अक्टूबर 2012 के दौरान विवरणियों में दर्शाए गए ₹ 1.38 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट के अथ और अंत शेष के बीच अंतर था। इसके परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति हुई।

हमने इसे दर्शाया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

**4.3.3 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अनुसार एक सेवा प्रदाता को इनपुटों, पूंजीगत माल और आऊटपुट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त की गई इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए शुल्क के सेनवेट क्रेडिट लेने की अनुमति दी गई है।** इसके अलावा, उक्त नियमावली के नियम 3(4) ने बताया कि सेनवेट क्रेडिट का उस सीमा तक ही उपयोग किया जाएगा जहां तक ऐसा क्रेडिट उस माह के संबंध में कर के भुगतान हेतु माह के अंतिम दिन पर उपलब्ध है।

कोलकाता (एसटी) कमिश्नरी में **मैसर्स एमरसन नेटवर्क पावर (इंडिया)** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2011-12 और 2012-13 के दौरान ₹ 57.29 लाख के अधिक सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त एवं उपयोग किया था।

हमने इसे दर्शाया (नवम्बर 2104), विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया था (मार्च 2015)।

मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015) ।

#### 4.4 इनपुटों के अनुचित सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(के) के अनुसार 'इनपुटों' को परिभाषित किया गया है और उक्त को निम्नलिखित हेतु उपयोग किए जा रहे किसी माल से (बी) माध्यम से छूट दी गई है (क) भवन या सिविल संरचना या उसके भाग का निर्माण या कार्यान्वयन या निर्माण कार्य अनुबंध का कार्यान्वयन या (ख) निर्माण कार्य अनुबंध या निर्माण सेवाओं के कार्यान्वयन में सेवा प्रावधान के प्रावधान को छोड़कर पूंजीगत माल के समर्थन हेतु निर्माण करना या संरचना बनाना। इसके अलावा, सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2006 का नियम 2ए प्रावधान करता है कि नियम 2ए(ii) के अंतर्गत आने वाले निर्धारिती ऐसे निर्माण कार्य अनुबंधों में उपयोग किए गए या इनसे संबंधित इनपुटों पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्कों तथा सेस के सेनवेट क्रेडिट को लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

भुवनेश्वर-1 कमिश्नरी में मैसर्स आदर्श नोवल कार्पोरेशन लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2012-13 और 2013-14 की अवधि के दौरान इनपुटों अर्थात्, इलेक्ट्रोड, एंगल, चैनल आदि ₹ 61.71 लाख के सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त एवं उपयोग किया था जो अनियमित है।

हमने इसे दर्शाया (नवंबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।



## अध्याय 5: छूटों की प्राप्ति

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 के अंतर्गत सरकार को साधारणतया या अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन छूट देने की शक्ति दी गई है, सेवा कर के समग्र या किसी भाग से किसी विशेष विवरण की करयोग्य सेवा उस पर उदग्रहणीय होगी।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान हमें छूटों की गलत प्राप्ति के 14 मामलों का पता चला जिसमें ₹ 17.81 करोड़ की राशि शामिल है।

कुछ निदर्शी मामलों को नीचे दिया गया है:-

### 5.1 छूट की गलत प्राप्ति

5.1.1 20 जून 2012 की अधिसूचना के क्रम सं.13(क) के अनुसार जन साधारण द्वारा उपयोग हेतु सड़क यातायात के लिए सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल के निर्माण को सेवा कर से छूट दी गई है।

बैंगलूरु-1 (एसटी) कमिश्नरी में मैसर्स एल एण्ड डब्ल्यू कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2013-14 के दौरान ₹ 131.57 करोड़ के मूल्य हेतु चेन्नई में प्रस्तावित औद्योगिक टाउनशिप हब में पुलों, ओवरहेड टैंकों और जलाशयों के लिए डिजाइन तथा निर्माण कार्य करने के लिए मैसर्स एप्रीकोट रियल्टर्स प्रा.लि. कांचीपुरम के साथ करार किया है। छूट का दावा करने वाले निर्धारिती ने इस राशि पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। चूंकि, निर्धारिती द्वारा किया गया कार्य जन साधारण द्वारा उपयोग हेतु सड़क परिवहन के लिए नहीं बल्कि औद्योगिक हब के लिए था इसलिए छूट की प्राप्ति गलत है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.50 करोड़ के सेवा कर का अनुदग्रहण हुआ।

हमने यह दर्शाया (दिसम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.1.2 भुवनेश्वर-1 कमिश्नरी में मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2010-11 और

2011-12 के दौरान ₹ 23.72 करोड़ की राशि हेतु पारादीप में आइओसी पारादीप ऑयल रिफाइनरी के अंदर सड़क के निर्माण हेतु मैसर्स गंगाधर जेना, मैसर्स निर्मल कु स्वेन, मैसर्स निरंजन खंतिया और मैसर्स आरकेडी कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि. को निर्माण कार्य दिया। चूंकि, उपरोक्त चार निर्धारितियों द्वारा किया गया कार्य जनसाधारण द्वारा उपयोग हेतु सड़क यातायात के लिए नहीं था इसलिए ₹ 93.19 लाख का सेवा कर भुगतान हेतु देय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 93.19 लाख के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (नवंबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.1.3 कोयम्बटूर कमिश्नरी मैसर्स श्रीवत्स रियल इस्टेट्स प्रा. लि. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 5.60 करोड़ की राशि हेतु कालापट्टी पर श्रीवत्स संकर रेडिडेंशल अपार्टमेंट कॉम्प्लैक्स में सड़क के निर्माण हेतु मैसर्स पी.ए. कन्स्ट्रक्शन्स को कार्य प्रदान किया था। चूंकि, मैसर्स पी.ए. कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा किया गया कार्य जन साधारण द्वारा उपयोग हेतु सड़क परिवहन के लिए नहीं था इसलिए ₹ 27.69 लाख के सेवा कर का भुगतान देय था। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि मैसर्स पी.ए. कन्स्ट्रक्शन्स विभाग के पास पंजीकृत भी नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.69 लाख के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय से उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

## 5.2 छूट की अनुचित प्राप्ति

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)(जेडजेडजेडजेडए) (1 जुलाई 2012 से पूर्व) के अनुसार निर्माण कार्य अनुबंध के संबंध में करयोग्य सेवा का तात्पर्य 'सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, यातायात टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों और बांधों से संबंधित निर्माण कार्य अनुबंधों को छोड़कर निर्माण कार्य अनुबंध के

कार्यान्वयन के संबंध में अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सेवा से है।

दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना के क्रम सं. 12(क) के अनुसार मुख्यतः वाणिज्य के अलावा उपयोग हेतु किए गए निर्माण या किसी अन्य मौलिक निर्माण कार्य के माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवा कर के उदग्रहण से छूट दी गई है।

5.2.1 हैदराबाद-॥ कमिश्नरी में **मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लि.** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने उनके विद्युत संयंत्रों के लिए निजी रेलवे साइडिंगों के निर्माण हेतु **मैसर्स जीएमआर** से सेवाओं की व्यवस्था के प्रति ₹ 29.92 करोड़ की राशि प्राप्त की थी किन्तु इस बहाने से ₹ 3.70 करोड़ की सेवा कर देयता का भुगतान नहीं किया कि यह कार्य रेलवे से संबंधित था। चूंकि, यह निर्माण कार्य निजी कम्पनी द्वारा अपने विद्युत संयंत्र के लिए किया गया था और रेलवे के लिए नहीं, इसलिए छूट की प्राप्ति गलत थी। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 3.70 करोड़ के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (अक्टूबर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.2.2 सलेम कमिश्नरी में **मैसर्स रामालिंगम कन्स्ट्रक्शन्स (पी) लि.** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने **मैसर्स तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लि.** चेन्नई (टीएनएसआईडीसीओ) के लिए कार्पोरेट कार्यालय भवन का निर्माण किया था और 2010-11 तथा 2013-14 के बीच ₹ 33.44 करोड़ प्राप्त किए थे। हालांकि, निर्धारिती ने इस राशि पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। हालांकि, हमने देखा कि **मैसर्स टीएनएसआईडीसीओ** औद्योगिक सम्पदा के विकास और रख-रखाव में लगा हुआ था जिसमें न्यूनतम सेवा प्रभार हेतु निजी भूमि भी शामिल है। वें विकसित भूमि की प्रत्यक्ष बिक्री, किशतों पर खरीदने, पट्टा किराया योजना और संग्रहीत संसाधन शुल्क के अलावा विपणन सहायता योजना के अंतर्गत कच्चे माल की आपूर्ति/बिक्री का कार्य भी करते हैं। चूंकि **मैसर्स**

टीएनएसआईडीसीओ ने वाणिज्यिक कार्यकलापों का उत्तरदायित्व लिया है तब निर्धारिती द्वारा छूट की प्राप्ति गलत है। इसके परिणामस्वरूप 2010-11 से 2013-14 की अवधि के लिए ₹ 1.50 करोड़ के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

बताए जाने पर (दिसम्बर 2014), विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते समय बताया (मार्च 2015) कि कार्रवाई आरंभ की जा रही है।

मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

### 5.3 अन्य मामलें

दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना के क्रम सं. 12(ग) के अनुसार मुख्यतः वाणिज्य के अलावा उपयोग हेतु किए गए निर्माण या किसी अन्य मौलिक निर्माण कार्य के माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवा कर के उदग्रहण से छूट दी गई है।

5.3.1 हैदराबाद-॥ कमिश्नरी में **मैसर्स केएमवी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.** और **मैसर्स आईवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लि.** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि इन निर्धारितियों ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान निजी शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराई गई ₹ 39.61 करोड़ मूल्य की निर्माण सेवाओं पर गलत रूप से छूट प्राप्त की थी और सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (नवम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.3.2 दिल्ली-॥ कमिश्नरी में **मैसर्स भायना बिल्डर्स (पी) लि.** के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने जुलाई 2012 से मार्च 2013 के दौरान निजी शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराई गई ₹ 9.25 करोड़ मूल्य की निर्माण सेवाओं पर गलत रूप से छूट प्राप्त की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 45.72 लाख के सेवा कर का उदग्रहण नहीं हुआ।

हमने यह दर्शाया (मई 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2015)।

5.3.3 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेड) (1 जुलाई 2012 से पूर्व) 'सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, यातायात टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों और बांधों से संबंधित निर्माण कार्य अनुबंधों को छोड़कर निर्माण कार्य अनुबंध के कार्यान्वयन के संबंध में अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सेवा' के रूप में निर्माण कार्य अनुबंध के संबंध में करयोग्य सेवा को परिभाषित करती है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(91क) में परिभाषित "आवासीय कॉम्प्लेक्स" का अर्थ है, 12 आवासीय इकाइयों से अधिक वाली इमारत या इमारतों से बना कोई भी कॉम्प्लेक्स।

सलेम आयुक्तालय में मैसर्स आर. आर. धुलासी बिल्डर्स (1) प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने तमिलनाडु के केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर के लिए 30 आवासीय निवास और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान त्रिची के लिए 48 आवासीय निवासों का निर्माण 2010-11 और 2011-12 में ₹ 25.34 करोड़ के लिए कार्य संविदा श्रेणी के तहत किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ एक करोड़ के सेवा कर का गैर करारोपण हुआ।

हमने इस पर ध्यान दिलाया (जनवरी 2015), विभाग ने (मार्च 2015) कहा कि दिनांक 29 जनवरी 2009 के परिपत्र के अनुसार छूट उपलब्ध है यदि निर्माण व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त छूट केवल तभी उपलब्ध है जब तक निर्माण में सम्मिलित इकाइयों की संख्या 12 से कम हैं।

मंत्रालय का उत्तर अभी भी अपेक्षित है (जून 2015)।

## अध्याय 6: अन्य अनुपालन मुद्दे

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने सेवा कर की दर की प्रयोज्यता के गलत प्रयोज्यता और ब्याज का गैर/कम भुगतान के ₹ 8.84 करोड़ के 44 मामले देखे।

### 6.1 सेवा कर के दर की गलत प्रयोज्यता

वित्त अधिनियम, 1994 के अनुसार, धारा 65 (जेडजेडक्यू) के तहत वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा पर सेवा कर 10 सितम्बर 2004 से प्रभावी लगाया गया था जबकि धारा 65 (जेडजेडजेडजेडए) के तहत कार्य संविदा पर सेवा कर 1 जून 2007 से प्रभावी लगाया गया था। बोर्ड के दिनांक 4 जनवरी 2008 के परिपत्र के अनुसार एक परियोजना के निर्माण के लिए ली गई सेवाओं का वर्गीकरण में वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा से डब्ल्यूसीएस में परिवर्तन अनुमत नहीं है।

अहमदाबाद (एसटी) आयुक्तालय में मैसर्स शपूरजी पलोन्जी एवं कंपनी लिमिटेड के अभिलेखों की जांच से हमने देखा कि दो परियोजनाएं जोकि है टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) और भावनागर एनर्जी कम्पनी लिमिटेड (बीइसीएल) को अक्टूबर 2008 और जुलाई 2010 क्रमानुसार प्रारंभित निर्माण सेवा प्रदान की गई थी, उन्हें वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा के तौर पर वर्गीकृत किया गया था निर्धारित इनपुट पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं के सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठा रहा था और 1 मार्च 2006 की अधिसूचना के तहत मंदी का लाभ नहीं उठाया और वाणिज्यिक और औद्योगिक निर्माण सेवा के तहत 12.36 प्रतिशत की सामान्य दर पर सेवा कर का मोचन किया। हमने ध्यान दिया कि उन्होंने उपरोक्त परियोजनाओं का वर्गीकरण जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक डब्ल्यूसीएस में परिवर्तित कर दिया और 60 प्रतिशत की मंदी के लाभ उठाने के बाद ₹ 71.31 करोड़ कर लगने योग्य मूल्य पर सेवा कर का भुगतान किया जोकि गलत है। आगे जैसे कि उन्होंने इनपुट क्रेडिट का लाभ उठा लिया था बिना किसी मंदी के कर-योग्य आय के 100 प्रतिशत पर सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता है इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.46 करोड़ के सेवा कर की कम उगाही हुई।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (फरवरी 2014) विभाग ने सम्मति स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2014) कि ड्राफ्ट कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर अब भी अपेक्षित है (जून 2015)।

## 6.2 ब्याज का गैर/कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 ध्यान देती है कि प्रत्येक व्यक्ति धारा 68 अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, निर्धारित अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में कर या इसका कोई भाग जमा कराने में विफल होने पर उस अवधि के लिए जिसमें इस प्रकार कर या इसका कोई भाग जमा कराने में विलम्ब हुआ है के लिए ब्याज का भुगतान करेगा।

कुछ व्याख्यात्मक मामले नीचे दिय गए हैं:

**6.2.1 अहमदाबाद-एसटी आयुक्तालय में मैसर्स जय हिंद परियोजना लिमिटेड** 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान डब्ल्यूसीएस प्रदान करने में प्रवृत्त रहे, ₹ 27.03 करोड़ सेवा कर का देरी से भुगतान किया। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणों से हमने देखा कि देरी से भुगतान किए गए सेवा कर पर भुगतेय ब्याज ₹ 2.60 करोड़ था। किंतु निर्धारिती ने ₹ 1.02 करोड़ की ब्याज देयता का मोचन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.58 करोड़ के ब्याज की कम उगाही हुई।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (जनवरी 2015) विभाग/मंत्रालय का उत्तर अब भी अपेक्षित है (जून 2015)।

**6.2.2 भुवनेश्वर-1 आयुक्तालय में मैसर्स आदर्श नोबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** 2012-13 और 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 6.85 करोड़ का डब्ल्यूसीएस प्रदत्त सेवा कर देरी से प्रदान करने में प्रवृत्त रहे। किंतु निर्धारिती ने ₹ 65.48 लाख की ब्याज देयता का मोचन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.48 लाख के ब्याज का गैर-भुगतान हुआ।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (नवम्बर 2014), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अब भी अपेक्षित है (जून 2015)।

6.2.3 पटना आयुक्तालय में **मैसर्स श्री अवंतिका कान्ट्रेक्टर (I) लिमिटेड** 2010-11 और 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 1.08 करोड़ का देरी से डब्ल्यूसीएस प्रदत्त सेवा कर प्रदान करने में प्रवृत्त रहे। किंतु निर्धारिती ने ₹ 35.27 लाख की ब्याज देयता का मोचन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35.27 लाख के ब्याज का गैर-भुगतान हुआ।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (जनवरी 2015), विभाग/मंत्रालय का उत्तर अब भी अपेक्षित है। (जून 2015)।

6.2.4 कोलकाता (एसटी) आयुक्तालय में **मैसर्स गन्नोन इन्करली एंड कम्पनी लिमिटेड** ने 2013-14 के दौरान डब्ल्यूसीएस के संदर्भ में ₹ 2.41 करोड़ के सेवा कर का देरी से भुगतान किया, परंतु सेवा कर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.71 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (मई 2014) निर्धारिती ने जून 2014 में ₹ 24.71 लाख के ब्याज का भुगतान किया/किंतु विभाग/मंत्रालय द्वारा उत्तर अभी भी अपेक्षित है (जून 2015)।

6.2.5 मुम्बई-1 (एसटी) आयुक्तालय पर अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा **मैसर्स आरएनए यूनिवर्सल** ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2014 के दौरान ₹ 3.24 करोड़ के सेवा कर का देरी से भुगतान किया किंतु सेवा कर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.98 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ।

हमने इसकी ओर ध्यान दिलाया (दिसम्बर 2014), विभाग ने (मई 2015) ₹ 9.98 लाख रुपये की वसूली की सूचना दी और आगे कहा कि वसूली की शेष राशि का विवरण जल्दी ही दिया जायेगा।

6.2.6 चंडीगढ़ आयुक्तालय में **मैसर्स जयकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 की अवधि के लिए निर्धारिती ने ₹ 34.93 लाख की देयता के विरुद्ध ₹ 12.72 लाख की ब्याज राशि का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.21 लाख के ब्याज का कम भुगतान हुआ।



हमने इसकी ओर ध्याना दिलाया (मई 2014) मंत्रालय/विभाग का उत्तर अब भी अपेक्षित है (जून 2015)। तथापि, निर्धारिती ने ₹ 22.21 लाख के अन्तरीय ब्याज का भुगतान कर दिया था।

6.2.7 नागपुर आयुक्तालय पर अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि मैसर्स संदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए ₹ 26.43 लाख की देयता के विरुद्ध ₹ 4.18 लाख की राशि का सेवा कर विलम्बित भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.25 लाख के ब्याज का कम भुगतान हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर (जनवरी 2015) विभाग ने (अप्रैल 2015) ₹ दस लाख की वसूली की सूचना दी और आगे कहा कि वसूली की शेष राशि का विवरण जल्दी ही दिया जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर अभी भी अपेक्षित है (जून 2015)।

नई दिल्ली

दिनांक: 27 जुलाई 2015



(एम. हिमबिन्दु)

प्रधान निदेशक (सेवा कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 27 जुलाई 2015



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

संक्षिप्त रूप

एसीईएस	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर स्वचालन
एडब्ल्यूडीआर	निर्धारित वार विस्तृत अभिलेख
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीडीटी	प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय बोर्ड
सीडीआर	आयुक्तालय डिवीजन रेंज
सीइएनवीएटी	केन्द्रीय उत्पाद योगित मूल्य कर
सीइआरए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीएक्स	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
डीजीएसटी	सेवा कर महानिदेशक
डीजीसीईआई	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय
इएएसआईईएसटी	उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलैक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली
इपीसी	इंजीनिरिंग अधिप्राप्ति एवं निर्माण संविदा
लि.	लिमिटेड
एलटीयू	बड़ी करदाता इकाई
एमसीए	कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
पीएलए	व्याक्तिगत लेखा बहि
प्राइ.	निजी
आर एवं सी	समीक्षा एवं शुद्धि
आरइआईसी	क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसटी	सेवा कर
टीएनवीएटी	तमिलनाडु योगित मूल्य कर
वीएटी	योगित मूल्य कर
डब्ल्यूसीएस	निर्माण कार्य अनुबंध